सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE *Extraordinary*
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

फाल्गुन 17, बुधवार, शाके 1938–मार्च 08, 2017
Phalguna 17, Wednesday, Saka 1938-March 08, 2017

भाग 4 (ग)
उप–खण्ड (II)
राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.146.–राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 19 का संशोधन.– राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 19 में,–

(i) उप–नियम (8) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न ''।'' के स्थान पर विराम चिह्न ''ः'' प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित उप–नियम (8) में, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

''परन्तु वर्ष 2015–16 के लिए व्यवहारी 15.04.2017 तक प्ररूप मूपक–11 में पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा।''

3. नियम 21 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 21 के उप–नियम (8) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्ः–

''परन्तु अधिकारिता रखने वाला उपायुक्त (प्रशासन) किसी विशिष्ट मामले में, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, ऐसे घोषणा प्ररूप के जनन किये जाने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि तक या 31.03.2017 तक, जो भी बाद में हो, ऐसा आवेदन प्रस्तुत करने के लिए व्यवहारी को अनुज्ञात कर सकेगा।''

4. नियम 30 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 30 के विद्यमान उप-नियम (2) के पश्चात् और विद्यमान उप-नियम (3) से पूर्व निम्नलिखित नये उप-नियम (2क) और (2ख) अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

''(2क) उपर्युक्त उप-नियम (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2017 के प्रारंभ की तारीख तक की कालावधि के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में प्रस्तुत किये गये प्ररूप मूपक-27 में अपील का ज्ञापन और प्ररूप मूपक-28 में विलम्ब की माफी के लिए आवेदन जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (तृतीय संशोधन) नियम, 2015 से पूर्व प्रवृत्त था, उपर्युक्त उप-नियम (1) और/या, यथास्थिति, (2) के अधीन प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे।

(2ख) अपीलार्थी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि, अधिनियम की धारा 82 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित निक्षेप के सबूत के साथ विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से जनित अभिस्वीकृति और ऐसे आदेश की प्रमाणित प्रति, जिसके विरुद्ध अपील फाइल की गई है, संबंधित अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील फाइल करने के सात कार्यदिवसों के भीतर प्रस्तुत करेगा।''

5. नियम 40 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 40 में,-

(i) उप-नियम (8ख) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न ''।'' के स्थान पर विराम चिह्न ''ः'' प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित उप-नियम (8ख) में निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

''परन्तु वर्ष 2015-16 के लिए अवार्डर 31.03.2017 तक पुनरीक्षित प्ररूप मूपक-40ङ प्रस्तुत कर सकेगा।''

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-79]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.147.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-2 दिनांक 11.04.2006 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि ऐसे व्यवहारी, जिसने अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन कर के संदाय के लिये विकल्प का प्रयोग किया है, द्वारा संदेय कर नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथा वर्णित व्यवहारियों के वर्ग से उनके प्रत्येक के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 में यथा वर्णित दर पर उद्गृहीत किया जायेगा, अर्थात :-

सारणी

क्र.सं.	व्यवहारियों का वर्ग	कर की दर (%)
1	2	3
1.	धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में यथा विनिर्दिष्ट व्यवहारी	2
2.	धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) में यथा विनिर्दिष्ट व्यवहारी	0.5

यह 01.4.2017 से प्रवृत्त होगी।

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-80]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.148.–राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.12(11)एफडी/टैक्स/2016 -190 दिनांक 08.03.2016 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, नीचे दी गयी सूची के स्तंभ संख्यांक-2 में वर्णित माल के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन संदेय स्तम्भ संख्यांक-3 में यथा वर्णित कर की रकम इसके द्वारा, तुरन्त प्रभाव से, नियत करती है; अर्थात् :-

सूची

क्र. सं.	मद	कर की दर
1	2	3
1.	60 मिमी. से अनधिक लम्बाई की फिल्टर सिगरेट से भिन्न सिगरेट	प्रति हजार 748 रु.
2.	60 मिमी. से अधिक किन्तु 65 मिमी. से अनधिक लम्बाई की फिल्टर सिगरेट से भिन्न सिगरेट	प्रति हजार 920 रु.
3.	65 मिमी. से अधिक किन्तु 70 मिमी. से अनधिक लम्बाई की फिल्टर सिगरेट से भिन्न सिगरेट	प्रति हजार 2185 रु.
4.	60 मिमी. से अनधिक लम्बाई (फिल्टर की लम्बाई को सम्मिलित करते हुए, फिल्टर की लम्बाई 11 मिमी. हो या उसकी वास्तविक लम्बाई, इनमें से जो भी अधिक हो) की फिल्टर सिगरेट	प्रति हजार 748 रु.
5.	60 मिमी. से अधिक किन्तु 65 मिमी. से अनधिक लम्बाई (फिल्टर की लम्बाई को सम्मिलित करते हुए, फिल्टर की लम्बाई 11 मिमी. हो या उसकी वास्तविक लम्बाई, इनमें से जो भी अधिक हो) की फिल्टर सिगरेट	प्रति हजार 978 रु.
6.	65 मिमी. से अधिक किन्तु 70 मिमी. से अनधिक लम्बाई (फिल्टर की लम्बाई को सम्मिलित करते हुए, फिल्टर की लम्बाई 11 मिमी. हो या उसकी वास्तविक लम्बाई, इनमें से जो भी अधिक हो) की फिल्टर सिगरेट	प्रति हजार 1668 रु.

7.	70 मिमी. से अधिक किन्तु 75 मिमी. से अनधिक लम्बाई (फिल्टर की लम्बाई को सम्मिलित करते हुए, फिल्टर की लम्बाई 11 मिमी. हो या उसकी वास्तविक लम्बाई, इनमें से जो भी अधिक हो) की फिल्टर सिगरेट	प्रति हजार 2300 रु.
8.	75 मिमी. से अधिक किन्तु 85 मिमी. से अनधिक लम्बाई (फिल्टर की लम्बाई को सम्मिलित करते हुए, फिल्टर की लम्बाई 11 मिमी. हो या उसकी वास्तविक लम्बाई, इनमें से जो भी अधिक हो) की फिल्टर सिगरेट	प्रति हजार 2875 रु.
9.	उपर्युक्त क्रम संख्यांक 1 से 8 के अधीन नहीं आने वाली किसी अन्य लम्बाई की सिगरेट	प्रति हजार 2990 रु.

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-81]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.149.–राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 1 में इसके द्वारा, 01.04.2016 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 1 के क्रम संख्यांक 90 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 की मद (ii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''दडिया डाई और मूस'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''दडिया डाई, कॉम्बिनेशन प्लायर और मूस'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-82]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.150.–राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना

समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-2 में इसके द्वारा, तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-2 में, विद्यमान क्रम संख्यांक 76 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक 77 और 78 और उनकी प्रविष्टयाँ जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"

77.	पेट्रोलियम कम्पनियों के खुदरा आउटलेट वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी	
78.	नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई ''रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-उडान'' में यथा परिभाषित आरसीएस उड़ानों को संचालित करने वाले एयरलाइन आपरेटर को राज्य के भीतर अवस्थित आरसीएस एयरपोर्ट पर एवियेशन टरबाईन फ्यूल का विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी	

"

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-83]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.151.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, किसी व्यवहारी द्वारा,-

(i) जिसने, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.12(28)एफडी/टैक्स/07-181 दिनांक 30.03.2007 (रजिस्ट्रीकृत टैण्ट व्यवहारियों के लिये प्रशमन स्कीम, 2007) के अधीन कर के बदले में एकमुश्त राशि के संदाय का विकल्प दिया है और जो उक्त अधिसूचना के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्रशमन रकम, ब्याज या विलम्ब फीस का निक्षेप करने में असफल रहा है; या

(ii) जिसने, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-164 दिनांक 15.03.2011 (रजिस्ट्रीकृत टैण्ट व्यवहारियों के लिये प्रशमन स्कीम, 2011) के अधीन कर के बदले में एकमुश्त राशि के संदाय का विकल्प दिया है और जो उक्त अधिसूचना के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्रशमन रकम, ब्याज या विलम्ब फीस का निक्षेप करने में असफल रहा है; या

(iii) जो, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.12(59)एफडी/टैक्स/2014-84 दिनांक 30.07.2014 के अधीन, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर, छूट फीस का निक्षेप करने में असफल रहा है;

संदेय कर के संदाय से इस शर्त पर इसके द्वारा छूट देती है कि ऐसा व्यवहारी दिनांक 31.05.2017 तक उक्त अधिसूचनाओं के अधीन विहित रीति में और समय के भीतर निक्षिप्त नहीं करायी गयी रकम पर उद्ग्रहणीय ब्याज की रकम के समतुल्य रकम के साथ उक्त अधिसूचनाओं के अधीन वर्णित माल के पण्यावर्त के प्रत्येक दो लाख रुपये या उसके भाग के लिए तीन हजार रुपये की दर पर छूट फीस का निक्षेप करेगा।

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-84]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.152.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, किसी व्यवहारी जिसने, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-39 दिनांक 06.5.2006 (सर्राफा व्यवहारियों के लिये प्रशमन स्कीम, 2006) के अधीन कर के बदले में एकमुश्त राशि के संदाय का विकल्प दिया है, और उक्त अधिसूचना के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्रशमन रकम, ब्याज या विलम्ब फीस का निक्षेप करने में असफल रहा है, द्वारा संदेय कर के संदाय से इस शर्त पर इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से छूट देती है कि ऐसे व्यवहारी ने दिनांक 31.05.2017 तक उक्त अधिसूचना के अधीन विहित रीति में और समय के भीतर निक्षिप्त नहीं करायी गयी रकम पर उद्ग्रहणीय ब्याज की रकम के समतुल्य रकम के साथ उक्त अधिसूचना में वर्णित माल के पण्यावर्त के प्रत्येक दो लाख रुपये या उसके भाग के लिए एक हजार छः सौ रुपये की छूट फीस निक्षिप्त करा दी है।

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-85]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.153.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, किसी व्यवहारी जिसने, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-37 दिनांक 06.05.2006 (जैम्स और स्टोन

के लिये प्रशमन स्कीम, 2006) के अधीन कर के बदले में एकमुश्त राशि के संदाय का विकल्प दिया है और उक्त अधिसूचना के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्रशमन रकम, ब्याज या विलम्ब फीस का निक्षेप करने में असफल रहा है, द्वारा संदेय कर के संदाय से इस शर्त पर इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से छूट देती है कि ऐसे व्यवहारी ने दिनांक 31.05.2017 तक उक्त अधिसूचना के अधीन विहित रीति में और समय के भीतर निक्षिप्त नहीं करायी गयी रकम पर उद्ग्रहणीय ब्याज की रकम के समतुल्य रकम के साथ उक्त अधिसूचना में वर्णित माल के पण्यावर्त के प्रत्येक दो लाख रुपये या उसके भाग के लिए एक हजार छः सौ रुपये की छूट फीस निक्षिप्त करा दी है।

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-86]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.154.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, किसी व्यवहारी जिसने, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.12(28)एफडी/टैक्स/2007/145 दिनांक 09.03.2007 (पैट्रोलियम कंपनियों के खुदरा बिक्री केन्द्रों वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों के लिये प्रशमन स्कीम) के अधीन कर के बदले में एकमुश्त राशि के संदाय का विकल्प दिया है और उक्त अधिसूचना के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्रशमन रकम, ब्याज या विलम्ब फीस का निक्षेप करने में असफल रहा है, द्वारा संदेय कर के संदाय से इस शर्त पर इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से छूट देती है कि ऐसे व्यवहारी ने दिनांक 31.05.2017 तक उक्त अधिसूचना के अधीन विहित रीति में और समय के भीतर निक्षिप्त नहीं करायी गयी रकम पर उद्ग्रहणीय ब्याज की रकम के समतुल्य रकम के साथ उक्त अधिसूचना में वर्णित माल के पण्यावर्त के प्रत्येक दो लाख रुपये या उसके भाग के लिए तीन हजार रुपये की छूट फीस निक्षिप्त करा दी है।

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-87]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.155.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, एयरलाइन आपरेटर जो राज्य के भीतर अवस्थित आरसीएस एयरपोर्ट से आरसीएस रूट पर आरसीएस फ्लाइट का संचालन करती है, को रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा एवियेशन टरबाईन फ्यूल के विक्रय पर संदेय कर से उस सीमा तक जिस तक कर की दर एक प्रतिशत से अधिक है इस शर्त पर इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से छूट देती है कि क्रय करने वाला एयरलाइन आपरेटर वाणिज्यिक कर विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक रूप से उसमें यथा उपबंधित रीति में प्ररूप मूपक-72 में एक घोषणा जनित करेगी और विक्रेता व्यवहारी को इस प्रकार जनित प्ररूप मूपक-72 की सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत करेगा।

टिप्पणः इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति आरसीएस एयरपोर्ट, आरसीएस फ्लाइट और आरसीएस रूट का वही अर्थ होगा जो उन्हें राष्ट्रीय नागर विमानन पालिसी, 2016 के अनुसरण में नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 21.10.2016 को जारी ''रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-उडान'' में समनुदेशित किया गया है।

यह अधिसूचना, 20.10.2026 तक प्रवृत्त रहेगी।

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-88]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.156.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.12(161)एफडी/टैक्स/09-1 दिनांक 02.06.2014 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 12(18)एफ.डी./टैक्स/07-45, दिनांक 18.08.2008 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, भारतीय रेल को हाई स्पीड डीजल के विक्रय या उसके द्वारा क्रय को, उस सीमा तक जहां तक कि उसके संबंध में कर की दर 18 प्रतिशत से अधिक हो, इसके द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर कर से छूट देती है, अर्थात्:-'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक. एफ.12(18)एफडी/टैक्स/07-45 दिनांक 18.08.2008 को दिनांक 18.08.2008 से इसके द्वारा अतिष्ठित करती है और भारतीय रेल को हाई स्पीड डीजल के विक्रय या उसके द्वारा क्रय को, उस सीमा तक जिस तक उसके संबंध में कर की दर-

(i) 02.06.2014 से 28.08.2015 की कालावधि के लिए 14 प्रतिशत; और
(ii) दिनांक 29.08.2015 से 18 प्रतिशत

से अधिक हो, इसके द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर कर से छूट देती है अर्थात्:-'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-89]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.157.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, भारतीय रेल को 18.08.2008 से 01.06.2014 तक की कालावधि के दौरान हाई स्पीड डीजल के विक्रय या उसके द्वारा क्रय को, उस सीमा तक जहां तक कि उसके संबंध में कर की दर 10 प्रतिशत से अधिक हो, इसके द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर कर से छूट देती है, अर्थात्:-

1. यह कि यदि ऐसे क्रय भारतीय रेल के उत्तर-पश्चिमी जोन, जयपुर द्वारा किये जाते हैं तो इस अधिसूचना का फायदा इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध होगा कि पूर्वोक्त जोन राजस्थान में अपने प्रचालनों के लिए हाई स्पीड डीजल (एच.एस.डी.) की अपनी आवश्यकता की पूर्ति केवल राजस्थान राज्य से ही करेगा, जो किसी भी दशा में किसी वित्तीय वर्ष में भारतीय रेल के उत्तर पश्चिमी जोन, जयपुर द्वारा किये गये एच.एस.डी. के कुल क्रय के 90 प्रतिशत से कम नहीं होगा;
2. यह कि भारतीय रेल के उत्तरी-पश्चिमी जोन, जयपुर से राज्य के भीतर एच.एस.डी. के अपने क्रयों की त्रैमासिक सूचना, सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा; और
3. यह कि भारतीय रेल द्वारा उसकी ओर से ऐसे क्रय करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के लिए रजिस्ट्रीकृत विक्रेता व्यवहारी को इससे संलग्न प्ररूप में एक प्रमाणपत्र देना अपेक्षित होगा।

प्ररूप

मैं ..... (नाम) भारतीय रेल का .... (पदनाम), इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सं. .... के धारक मैसर्स ..... से भारतीय रेल के निमित्त क्रय किया गया हाई स्पीड डीजल केवल स्वयं के उपयोग के लिए है और पुनर्विक्रय के प्रयोजन के लिए या माल के विनिर्माण में उपयोग किये जाने के लिए नहीं है।

सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी की मुहर
स्थानः.....
दिनांकः.....

हस्ताक्षरः.....
प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-90]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.158.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.12(23)एफडी/टैक्स/2015-206 दिनांक 09.03.2015 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) खण्ड 3 के विद्यमान उप-खण्ड 3.1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''3.1.1 जहां व्यवहारी, खण्ड 2 के उप-खण्ड 2.1.1 के अधीन विहित समय के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने में असफल रहता है वहां उसे विलम्ब की माफी के लिए इस अधिसूचना से संलग्न प्ररूप सं.क.-3 में आवेदन के साथ, उसमें विलम्ब फीस के संदाय के ब्यौरे का उल्लेख करते हुए, नीचे उल्लिखित विलम्ब फीस के संदाय पर, आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगाः

विलम्ब की कालावधि	**विलम्ब फीस की रकम**
संकर्म संविदा के अवार्ड किये जाने की तारीख से एक वर्ष तक	एक हजार रुपये
संकर्म संविदा के अवार्ड किये जाने की तारीख से एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष तक	पांच हजार रुपये।

3.1.2 जहां व्यवहारी, खण्ड 2 के उप-खण्ड 2.5 के अधीन विहित समय के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने में असफल रहता है वहां उसे, विलम्ब की माफी के लिए इस अधिसूचना से संलग्न प्ररूप सं.क.-3 में आवेदन के साथ, उसमें विलम्ब फीस के संदाय के ब्यौरे का उल्लेख करते हुए, नीचे

उल्लिखित विलम्ब फीस के संदाय पर, आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगाः

विलम्ब की कालावधि	विलम्ब फीस की रकम
अतिरिक्त कार्य की संसूचना या संविदा के मूल्य की वृद्धि की तारीख से एक वर्ष तक	एक हजार रुपये
अतिरिक्त कार्य की संसूचना या संविदा के मूल्य की वृद्धि की तारीख से एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष तक	पांच हजार रुपये।

''; और

(ii) उक्त अधिसूचना से संलग्न प्ररूप सं.क.-3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''संकर्म संविदा के अवार्ड करने की तारीख'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''संकर्म संविदा के अवार्ड करने की तारीख या अतिरिक्त कार्य की संसूचना या, यथास्थिति, संकर्म संविदा के मूल्य की वृद्धि की तारीख'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-91]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.159.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 51क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के अधित्यजन के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित एमनेस्टी स्कीम-2017, जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रवृत्त कालावधि.- (1) इस स्कीम का नाम एमनेस्टी स्कीम-2017 है।

(2) यह स्कीम दिनांक 08.03.2017 से प्रवृत्त होगी और दिनांक 30.04.2017 तक प्रवृत्त रहेगी।

2. परिभाषाएं.- (1) इस स्कीम में, जब तक विषय-वस्तु या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) ''आवेदक'' से निर्धारण प्राधिकारी या संबंधित प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करके स्कीम के लिए विकल्प लेने वाला कोई व्यवहारी या व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ii) ''विभाग'' से वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान अभिप्रेत है; और

(iii) ''कर'' में कर के बदले में एकमुश्त राशि के संदाय के लिए प्रशमन फीस की रकम और छूट फीस सम्मिलित होगी।

(2) इस स्कीम में प्रयुक्त किये गये किंतु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जैसा उन्हें उस अधिनियम में समनुदेशित किया गया है जिसके अधीन मांग सृजित की गयी है।

3. स्कीम का लागू होना.- स्कीम ऐसे व्यवहारी या व्यक्ति को लागू होगी जिसके विरूद्ध दिनांक 08.03.2017 को कुल परादेय मांग तीस करोड़ रुपये से कम है और जो निम्नलिखित अधिनियमों के अधीन दिनांक 31.12.2016 तक सृजित की गयी है :-

(i) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954;
(ii) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994;
(iii) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003; या
(iv) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956;

4. स्कीम के अधीन फायदे.- ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस की मांग नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में यथा वर्णित मांग के प्रवर्ग के लिए, स्तंभ संख्यांक 3 में यथा वर्णित शर्तों की पूर्ति पर, स्तंभ संख्यांक 4 में यथा वर्णित सीमा तक अधित्यजित की जायेगीः-

सारणी

क्र. सं.	**दिनांक 31.12.2016 तक सृजित की गयी मांग का प्रवर्ग**	**शर्तें**	**ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के अधित्यजन की सीमा**
1	2	3	4
1.	मांग वर्ष 2005-06 तक के बारे में हो।	(i) आवेदक ने दिनांक 30.04.2017 तक कर की संपूर्ण रकम (मांग और संग्रहण रजिस्टर के अनुसार) निक्षिप्त करा दी है; और (ii) आवेदक ने मामले के प्रत्याहरण के लिए आवेदन दिनांक 30.04.2017 तक प्रस्तुत कर दिया है यदि कोई मामला किसी न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है।	स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस की पूर्ण रकम।
2.	मांग वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक के बारे में हो और (i) कर के अपवंचन या परिवर्जन; या (ii) घोषणा प्ररूप (प्ररूपों) या प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) के दुरुपयोग; या (iii)लेखों में अंकित नहीं	(i) आवेदक ने दिनांक 30.04.2017 तक परादेय ब्याज रकम के दस प्रतिशत के साथ कर की संपूर्ण रकम (मांग और संग्रहण रजिस्टर के अनुसार) निक्षिप्त करा दी है; और (ii) आवेदक ने मामले के प्रत्याहरण के लिए आवेदन दिनांक 30.04.2017 तक	स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस की शेष रकम।

	किये गये माल; या (iv) अभिवहन में माल या यान; से संबंधित नहीं हो।	प्रस्तुत कर दिया है यदि कोई मामला किसी न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है।	
3.	मांग वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक के बारे में हो और (i) कर के अपवंचन या परिवर्जन; या (ii) घोषणा प्ररूप (प्ररूपों) या प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) के दुरुपयोग; या (iii) लेखों में अंकित नहीं किये गये माल; या (iv) अभिवहन में माल या यान; से संबंधित हो।	(i) आवेदक ने दिनांक 30.04.2017 तक परादेय ब्याज रकम के दस प्रतिशत और परादेय शास्ति रकम के बीस प्रतिशत के साथ कर की संपूर्ण रकम (मांग और संग्रहण रजिस्टर के अनुसार) निक्षिप्त करा दी है; और (ii) आवेदक ने मामले के प्रत्याहरण के लिए आवेदन दिनांक 30.04.2017 तक प्रस्तुत कर दिया है यदि कोई मामला किसी न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है।	स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस की शेष रकम।
4.	मांग वर्ष 2011-12 और तत्पश्चात् के वर्षों के बारे में हो और (i) कर के अपवंचन या परिवर्जन; या (ii) घोषणा प्ररूप (प्ररूपों) या प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) के दुरुपयोग; या (iii) लेखों में अंकित नहीं किये गये माल; या (iv) अभिवहन में माल या यान; से संबंधित नहीं हो।	(i) आवेदक ने दिनांक 30.04.2017 तक परादेय ब्याज रकम के बीस प्रतिशत के साथ कर की संपूर्ण रकम (मांग और संग्रहण रजिस्टर के अनुसार) निक्षिप्त करा दी है; और (ii) आवेदक ने मामले के प्रत्याहरण के लिए आवेदन दिनांक 30.04.2017 तक प्रस्तुत कर दिया है यदि कोई मामला किसी न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है।	स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस की शेष रकम।
5.	मांग वर्ष 2011-12 और तत्पश्चात् के वर्षों के बारे में हो और (i) कर के अपवंचन या परिवर्जन; या (ii) घोषणा प्ररूप (प्ररूपों) या प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) के दुरुपयोग; या (iii) लेखों में अंकित नहीं किये गये माल; या	(i) आवेदक ने दिनांक 30.04.2017 तक परादेय ब्याज रकम के बीस प्रतिशत और परादेय शास्ति रकम के पच्चीस प्रतिशत के साथ कर की संपूर्ण रकम (मांग और संग्रहण रजिस्टर के अनुसार) निक्षिप्त करा दी है; और (ii) आवेदक ने मामले के प्रत्याहरण के लिए आवेदन दिनांक 30.04.2017 तक	स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस की शेष रकम।

	(iv)अभिवहन में माल या यान; से संबंधित हो।	प्रस्तुत कर दिया है यदि कोई मामला किसी न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है।	

स्पष्टीकरणः(1) जहां कोई रकम मांग के विरूद्ध, उसके सृजन के पश्चात्, इस स्कीम के जारी होने से पूर्व निक्षिप्त की गयी है और स्कीम के अधीन अतिशेष परादेय मांग के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, वहां पूर्व में निक्षिप्त रकम को, यदि चालान में विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं है, तो पहले कर दायित्व के विरूद्ध और तत्पश्चात् यह क्रमशः ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के दायित्व के विरूद्ध समायोजित की जायेगी। तथापि यदि किसी न्यायालय आदेश की अनुपालना में कोई रकम निक्षिप्त की गयी है तो वह तद्नुसार समायोजित की जायेगी।

(2) जहां मांग पूर्ण रूप से ब्याज और/या शास्ति और/या विलम्ब फीस को समाविष्ट करती है, वहां ऐसे मामलों में कर की रकम निक्षिप्त की गयी समझी जायेगी।

(3) जहां कोई आवेदन मांग से संबंधित परिशुद्धि के लिए, जिसके लिए व्यवहारी या व्यक्ति स्कीम के अधीन विकल्प का आशय रखता है, निर्धारण प्राधिकारी या संबंधित प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है, तब ऐसे व्यवहारी या व्यक्ति से लिखित में संसूचना पर, वह उसे ऐसी संसूचना से सात दिवस के भीतर अथवा 30 अप्रैल, 2017 तक, जो भी पहले हो, निपटायेगा।

(4) क्रम संख्यांक 1 पर की मांग के प्रवर्ग के लिए, जहां व्यवहारी या व्यक्ति से कर की कोई रकम निक्षिप्त करने की अपेक्षा नहीं की गई है, ऐसे मामलों में उससे प्ररूप ए.एस.-I प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

5. फायदे प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया.- (1) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए, आवेदक विभाग की शासकीय वेबसाइट से दिनांक 30.04.2017 तक इस स्कीम से संलग्न प्ररूप ए.एस.-I में आवेदन जनित करेगा और ऐसा जनित प्ररूप ए.एस.-I कर और अन्य राशि, यदि कोई हो, के निक्षेप के सबूत के साथ न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकरण से लम्बित मामले के प्रत्याहरण के लिए फाइल किये गये आवेदन की स्व अधिप्रमाणित प्रति, यदि लागू हो, दिनांक 07.05.2017 तक निर्धारण प्राधिकारी या संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(2) खण्ड 3 के अध्यधीन रहते हुए, यदि परादेय मांग में बहु प्रविष्टियां अन्तर्वलित हैं, तो आवेदक प्रविष्टियों की किसी भी संख्या, जो वह चाहता है, के लिए आवेदन कर सकेगा।

(3) प्रत्येक परादेय मांग के लिए प्ररूप ए.एस.-I में पृथक प्रविष्टियां की जायेंगी और उपर्युक्त वर्णित सारणी के स्तंभ संख्यांक 3 में यथा वर्णित शर्तें प्रत्येक प्रविष्टि के लिए पृथकतः लागू होंगी।

(4) आवेदक प्रत्येक प्रविष्टि के लिए पृथकतः रकम का निक्षेप, यदि स्कीम के अधीन निक्षेप किया जाना अपेक्षित हो, करेगा और प्रत्येक चालान प्ररूप ए.एस.-I में वर्णित किया जायेगा।

(5) जहां व्यवहारी के विरूद्ध कोई मांग परादेय है और मामला विभाग द्वारा फाइल किया गया है, वहां ऐसे मामलों में आवेदक खण्ड 4 में वर्णित सारणी के स्तंभ

संख्यांक 3 में यथा वर्णित रकम का निक्षेप करने के पश्चात्, इस स्कीम के लिए विकल्प ले सकेगा, ऐसी परिस्थितियों में ऐसे मामले के प्रत्याहरण का कोई सबूत प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा और मामला विभाग द्वारा प्रत्याहृत कर लिया जायेगा।

(6) जहां अभियोजन का मामला विभाग द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 67 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) या निरसित अधिनियम के समान उपबंधों के अधीन फाइल किया गया है, और आवेदक ने इस स्कीम के अधीन यथा अपेक्षित रकम निक्षिप्त करा दी है, वहां निर्धारण प्राधिकारी अपना समाधान होने पर, न्यायालय से मामले के प्रत्याहरण के लिए कार्रवाई करेगा।

(7) निर्धारण प्राधिकारी या संबंधित प्राधिकारी आवेदन की प्राप्ति पर, आवेदन में वर्णित तथ्यों का सत्यापन करेगा और समाधान होने पर, इस स्कीम से संलग्न प्ररूप ए.एस.-II को पूर्ण करेगा। तथापि ऐसे मामलों में जहां किसी व्यवहारी या व्यक्ति को प्ररूप ए.एस.-I प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की गयी है, वहां निर्धारण प्राधिकारी/संबंधित प्राधिकारी स्वप्रेरणा से स्कीम से संलग्न प्ररूप ए.एस.-II पूर्ण करेगा।

(8) निर्धारण प्राधिकारी मांग और संग्रहण रजिस्टर में से ब्याज और/या शास्ति और/या, यथास्थिति, विलम्ब फीस की परादेय मांग को भी कम करेगा।

(9) निर्धारण प्राधिकारी संबंधित उपायुक्त (प्रशासन) को प्ररूप ए.एस.-II की प्रति अग्रेषित करेगा और वह, उन मामलों में जहां अधित्यजन की कुल रकम दस लाख रुपये से अधिक है, प्ररूप ए.एस.-II की प्रति आयुक्त को भी अग्रेषित करेगा।

(10) निर्धारण प्राधिकारी आवेदक को भी प्ररूप ए.एस.-II की प्रति अग्रेषित करेगा।

6. शर्त.- इस स्कीम के अधीन अधित्यजन के कारण कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

प्ररूप ए.एस.-I
(खण्ड 5 देखिए)
[व्यवहारी/व्यक्ति द्वारा भरा जाये]
भाग-क

1. आवेदक का नाम और पता :
2. वृत/वार्ड का नाम :
3. रजिस्ट्रीकरण सं./टिन (यदि कोई हो) :
4. ई-मेल पता, यदि कोई हो :
5. मांग के ब्यौरे (प्रत्येक परादेय मांग के लिए पृथक प्रविष्टि की जायेगी):

क्र. सं.	वर्ष	आदेश की तारीख	मांग की रकम					अधिनियम का नाम जिसके अधीन खण्ड 3 के अनुसार मांग सृजित की गयी है
			कर	ब्याज	शास्ति	विलम्ब फीस	कुल	
1.								
2.								

6. मांग के प्रवर्ग के सम्बन्ध में, खण्ड 4 की सारणी के क्रम संख्यांक का वर्णन करें: (प्रत्येक परादेय मांग के लिए पृथक प्रविष्टि की जायेंगी)

क्र. सं.	वर्ष	आदेश की तारीख	मांग का प्रवर्ग (समुचित खाने में निशान लगायें)									
			1		2		3		4		5	
			1		2		3		4		5	

7. निक्षिप्त रकम के ब्यौरेः (प्रत्येक परादेय मांग के लिए पृथक प्रविष्टि की जायेगी)

क्र.सं.	वर्ष	निक्षिप्त रकम (रु.)	निक्षेप की तारीख	जी.आर.एन/सी.आई.एन.

भाग-ख

परादेय मांग विवाद-ग्रस्त होने की दशा में भरा जाये

8. मामले के फाइल किये जाने की तारीख :
9. न्यायालय/फोरम का नाम जिसमें मामला लंबित है :
10. मामले की प्रकृतिः अपील/पुनरीक्षण/रिट याचिका/विशेष अपील/रा.मू.प.क. अधिनियम की धारा 67(1)(घ) के अधीन अभियोजन/अन्यः
11. मामले की वर्तमान प्रास्थिति और उसमें अंतर्ग्रस्त विवाद्यक :
12. आवेदक की हैसियत : अपीलार्थी/प्रत्यर्थी
13. लम्बित मामले के प्रत्याहरण के लिए फाइल किये गये आवेदन की तारीख (यदि मामला आवेदक द्वारा फाइल किया गया है) :

आवेदक के हस्ताक्षरः
दिनांक : नाम :
स्थान : हैसियत :

सत्यापन

मैं, इसके द्वारा, सत्यापित करता हूं कि उपर्युक्त दी गयी सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर
दिनांक : नाम :
स्थान : हैसियत :

प्ररूप ए.एस.-II

(खण्ड 5 देखिए)

[निर्धारण प्राधिकारी/संबंधित प्राधिकारी द्वारा भरा जाये]

(i) वृत/ वार्ड का नाम
(ii) व्यवहारी या व्यक्ति का नाम और पताः
(iii) रजिस्ट्रीकरण संख्यांक/टिन, यदि कोई होः
(iv) प्राधिकारी जिसका आदेश मुकदमे के अधीन है :
(v) मुकदमे की दशा में, मामले के प्रत्याहरण का आवेदन प्रस्तुत करने की तारीखः
(vi) आवेदक के विरूद्ध विभाग द्वारा फाइल किये गये अभियोजन की दशा में : अभियोजन की मंजूरी का संख्यांक और तारीखः
(vii) आवेदन के प्रस्तुत करने की तारीख पर परादेय मांग के ब्यौरेः

क्र. सं.	वर्ष	आदेश की तारीख	मांग की रकम					अधिनियम का नाम जिसके अधीन मांग सृजित की गयी है
			कर	ब्याज	शास्ति	विलम्ब फीस	कुल	
1.								
2.								

(viii) आवेदन के प्रस्तुत करने की तारीख तक परादेय मांग पर प्रोद्भूत ब्याज की रकम : रु. .....

(ix) निक्षिप्त रकम का सत्यापन :

क्र. सं.	वर्ष	आदेश की तारीख	निक्षिप्त रकम					निक्षेप की तारीख	अधिनियम का नाम
			कर	ब्याज	शास्ति	विलम्ब फीस	कुल		
1.									
2.									

सत्यापन

मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन का परीक्षण कर लिया है और सत्यापित करता हूं कि आवेदक ने अधिसूचना सं. एफ.12(14)एफडी./टैक्स/2017-92 दिनांक 08.03.2017 की शर्तों का पालन किया है, इसलिए निम्नलिखित सारणी में यथा वर्णित ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस की शेष परादेय मांग, मांग और संग्रहण रजिस्टर से कम कर दी गयी है :-

सारणी

क्र. सं.	वर्ष	आदेश की तारीख	मा.सं.र.के अनुसार परादेय रकम				
			कर	ब्याज	शास्ति	विलम्ब फीस	कुल
1.							
2.							

निक्षिप्त रकम					अधित्यजित रकम		
कर	ब्याज	शास्ति	विलम्ब फीस	कुल	मांग की अतिशेष रकम	स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज	कुल

निर्धारण प्राधिकारी/संबंधित प्राधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक :
स्थान :

नाम :
पदनाम

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-92]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.160.-केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74) की धारा 9 की उप-धारा (2) के साथ पठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 51ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, राज्य में अपने कारबार का स्थान रखने वाले नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में यथा वर्णित व्यवहारियों के वर्ग को अन्तरराज्यिक

व्यापार और वाणिज्य के अनुक्रम में कारबार के किसी ऐसे स्थान से उसके द्वारा किये गये स्तम्भ संख्यांक 3 में यथा वर्णित माल के विक्रय के संबंध में, स्तंभ संख्यांक 4 में यथा वर्णित सीमा तक, स्तंभ संख्यांक 5 में, यथा वर्णित कालावधि के लिए स्तंभ संख्यांक 6 में यथा वर्णित शर्तों पर इसके द्वारा, रिबेट अनुज्ञात करती है :-

सारणी

क्र. सं.	व्यवहारियों का वर्ग	माल का प्रवर्ग	रिबेट की सीमा	रिबेट की कालावधि	शर्तें
1	2	3	4	5	6
1.	ऐसी औद्योगिक इकाई वाला कोई व्यवहारी जिसके लिए अधिसूचना संख्यांक एफ. 4(35)एफ.डी. ग्रु.IV/87 दिनांक 23.05.1987 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा छूट के लिए पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया है और उसने उक्त अधिसूचना की शर्त 4(ङ)(i) भंग की है।	उक्त अधिसूचना के फायदे प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाई में विनिर्मित माल, उसकी पैकिंग सामग्री को सम्मिलित करते हुए।	उक्त अधिसूचना की शर्त 4(ङ)(i) के भंग के कारण उद्गृहीत या उद्ग्रहणीय कर की संपूर्ण रकम	कालावधि जिसके दौरान छूट का फायदा इकाई द्वारा प्राप्त किया गया है।	(i) ऐसी हिताधिकारी इकाई रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) के अधीन दिनांक 31.03.2007 तक रुग्ण घोषित कर दी गयी है या दिनांक 31.03.2007 तक बंद हो गयी है और हिताधिकारी इकाई की भूमि औद्योगिक प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए विक्रीत नहीं की गयी है; (ii) उस कालावधि के लिए, जिसके लिए इकाई ने उक्त अधिसूचना के अधीन प्रोत्साहन के फायदे प्राप्त किये हैं, प्रभारित या संग्रहीत कर, यदि कोई हो, व्यवहारी द्वारा निक्षिप्त कराया जायेगा; और (iii)उस कालावधि के लिए, जिसके लिए उक्त अधिसूचना के अधीन छूट का फायदा प्राप्त किया गया है, किसी निर्धारण में या उक्त अधिसूचना की शर्त 4(ङ)(i) के भंग के कारण परिशुद्धि आदेश में सृजित मांग

					के विरूद्ध सरकारी राजकोष में निक्षिप्त कर, शास्ति और ब्याज, यदि कोई हो, का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-93]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.161.–केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74) की धारा 13 की उप-धारा (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) नियम, 1957 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 17 का संशोधन.- केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) नियम, 1957 के नियम 17 के उप-नियम (14) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

> ''परन्तु अधिकारिता रखने वाला उपायुक्त (प्रशासन) किसी विशिष्ट मामले में, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, ऐसे घोषणा प्ररूप के जनन किये जाने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि तक या 31.03.2017 तक, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, ऐसा आवेदन प्रस्तुत करने के लिए व्यवहारी को अनुज्ञात कर सकेगा।''

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-94]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.162.–केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74) की धारा 8 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.12(99)एफ.डी./टैक्स/07-66 दिनांक 14.02.2008 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना के अन्त में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

''**स्पष्टीकरणः** इस अधिसूचना के अधीन सूक्ष्म और लघु उद्यमों की प्रास्थिति अभिनिश्चित करने के लिए एक ही स्वामित्व के अधीन भिन्न-भिन्न उद्यमों में संयंत्र और मशीनरी में किया गया विनिधान एक साथ क्लब नहीं किया जायेगा।''

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-95]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.163.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 51क के साथ पठित राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के अधित्यजन के लिए निम्नलिखित प्रवेश कर के लिए नई स्वैच्छिक एमनेस्टी स्कीम-2017, जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इसके द्वारा अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रवर्तन कालावधि.- (1) इस स्कीम का नाम प्रवेश कर के लिए नई स्वैच्छिक एमनेस्टी स्कीम-2017 है।

(2) यह स्कीम दिनांक 08.03.2017 से प्रवृत्त होगी और 30 अप्रैल, 2017 तक प्रवृत्त रहेगी।

2. परिभाषाएं.- (1) इस स्कीम में, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) ''आवेदक'' से निर्धारण प्राधिकारी या संबंधित प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करके स्कीम के लिए विकल्प लेने वाला कोई व्यवहारी या व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ii) ''विभाग'' से वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान अभिप्रेत है; और

(iii) ''कर'' में छूट फीस की रकम भी अन्तर्विष्ट होगी।

(2) इस स्कीम में प्रयुक्त किये गये किंतु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों में उन्हें समनुदिष्ट किया गया है।

3. स्कीम का लागू होना.- स्कीम ऐसे व्यवहारी या व्यक्ति को लागू होगी जिसके विरूद्ध दिनांक 08.03.2017 को कुल परादेय मांग दस करोड़ रुपये से कम है और मांग 31 दिसम्बर, 2016 को या उससे पूर्व सृजित हुई है।

4. स्कीम के अधीन फायदे.- ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस की मांग नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में यथा वर्णित व्यवहारी या व्यक्ति के प्रवर्ग के लिए स्तंभ संख्यांक 3 में यथा वर्णित शर्तों की पूर्ति पर स्तंभ संख्यांक 4 में यथा वर्णित सीमा तक अधित्यजित की जायेगी :-

सारणी

क्र. सं.	**व्यवहारी या व्यक्ति का प्रवर्ग**	**शर्तें**	**ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के अधित्यजन की सीमा**
1	2	3	4
1.	व्यवहारी या व्यक्ति जिसके विरूद्ध दिनांक 31.03.2013 को या उससे पूर्व उक्त अधिनियम की धारा 12 या धारा 15 या धारा 31 के अधीन शास्ति अधिरोपित की गयी है।	(i) आवेदक ने दिनांक 30.04.2017 तक परादेय ब्याज रकम के 20 प्रतिशत के साथ कर की संपूर्ण रकम (मांग और संग्रहण रजिस्टर के अनुसार) निक्षिप्त करा दी है; और (ii) आवेदक ने मामले के प्रत्याहरण के लिए आवेदन दिनांक 30.04.2017 तक प्रस्तुत कर दिया है यदि कोई मामला किसी न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है।	स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज की शेष रकम, शास्ति और विलम्ब फीस की पूर्ण रकम।
2.	व्यवहारी या व्यक्ति जिसके विरूद्ध दिनांक 31.03.2013 के पश्चात् किन्तु दिनांक 31.12.2016 को या उसके पूर्व उक्त अधिनियम की धारा 12 या धारा 15 या धारा 31 के अधीन शास्ति अधिरोपित की गयी है।	(i) आवेदक ने दिनांक 30.04.2017 तक परादेय ब्याज रकम के 25 प्रतिशत के साथ कर की संपूर्ण रकम (मांग और संग्रहण रजिस्टर के अनुसार) निक्षिप्त करा दी है; और (ii) आवेदक ने मामले के प्रत्याहरण के लिए आवेदन दिनांक 30.04.2017 तक प्रस्तुत कर दिया है यदि कोई मामला किसी न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है।	स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज की शेष रकम, शास्ति और विलम्ब फीस की पूर्ण रकम।
3.	व्यवहारी या व्यक्ति जिसके विरूद्ध दिनांक 31.03.2013 को या उससे पूर्व मांग सृजित हुई है और जो उपर्युक्त क्रम सं. 1 के अर्न्तगत नहीं आते हैं।	(i) आवेदक ने दिनांक 30.04.2017 तक परादेय ब्याज रकम के 10 प्रतिशत के साथ कर की संपूर्ण रकम (मांग और संग्रहण रजिस्टर के अनुसार) निक्षिप्त करा दी है; और (ii) आवेदक ने मामले के प्रत्याहरण के लिए आवेदन दिनांक 30.04.2017 तक प्रस्तुत कर दिया है यदि कोई मामला किसी	स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज की शेष रकम, शास्ति और विलम्ब फीस की

		न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है।	पूर्ण रकम।
4.	व्यवहारी या व्यक्ति जिसके विरूद्ध दिनांक 31.03.2013 के पश्चात् किन्तु दिनांक 31.12.2016 को या उसके पूर्व मांग सृजित हुई है और जो उपर्युक्त क्रम सं. 2 के अन्तर्गत नहीं आते हैं।	(i) आवेदक ने दिनांक 30.04.2017 तक परादेय ब्याज रकम के 20 प्रतिशत के साथ कर की संपूर्ण रकम (मांग और संग्रहण रजिस्टर के अनुसार) निक्षिप्त करा दी है; और (ii) आवेदक ने मामले के प्रत्याहरण के लिए आवेदन दिनांक 30.04.2017 तक प्रस्तुत कर दिया है यदि कोई मामला किसी न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है।	स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज की शेष रकम, शास्ति और विलम्ब फीस की पूर्ण रकम।

स्पष्टीकरणः(1) जहां कोई रकम, मांग के विरूद्ध उसके सृजन के पश्चात् इस स्कीम के जारी होने से पूर्व निक्षिप्त की गयी है और इस स्कीम के अधीन कोई आवेदन अतिशेष परादेय मांग के लिए प्रस्तुत किया जाता है, वहां पूर्व में निक्षिप्त रकम को, यदि चालान में विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं की गयी है, प्रथमतः कर दायित्व के विरूद्ध और तत्पश्चात् क्रमशः ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के दायित्व के विरूद्ध समायोजित की जायेगी। तथापि यदि किसी न्यायालय के आदेश की अनुपालना में कोई रकम निक्षिप्त की गयी है तब तद्नुसार समायोजित की जायेगी।

(2) जहां मांग पूर्ण रूप से ब्याज और/या शास्ति और/या विलम्ब फीस को समाविष्ट करती है वहां ऐसे मामलों में कर की रकम निक्षिप्त की गयी समझी जायेगी।

(3) जहां कोई आवेदन मांग से संबंधित परिशुद्धि के लिए, जिसके लिए व्यवहारी या व्यक्ति स्कीम के अधीन विकल्प का आशय रखता है, निर्धारण प्राधिकारी या संबंधित प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है, वहां ऐसे व्यवहारी या व्यक्ति से लिखित में संसूचना पर, वह उसे ऐसी संसूचना की प्राप्ति से सात दिवस के भीतर या 30 अप्रैल, 2017 तक, जो भी पहले हो, निपटायेगा।

5. फायदा प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया.– (1) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए, आवेदक कर और अन्य राशि, यदि कोई हो, के निक्षेप के सबूत के साथ निर्धारण प्राधिकारी या संबंधित प्राधिकारी को इस स्कीम से संलग्न प्ररूप प्र.क.ए.एस.–I में एक आवेदन न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकरण से संबंधित मामले के प्रत्याहरण के लिए फाइल किये गये आवेदन की स्व अधिप्रमाणित प्रति, यदि लागू हो, दिनांक 30.04.2017 तक प्रस्तुत करेगा।

(2) खण्ड 3 के अध्यधीन रहते हुए, यदि परादेय मांग में बहु प्रविष्टियां अन्तर्वलित हैं, तो आवेदक प्रविष्टियों की किसी भी संख्या, जो वह चाहता है, के लिए आवेदन कर सकेगा।

(3) प्रत्येक परादेय मांग के लिए प्ररूप प्र.क.ए.एस.–I में पृथक प्रविष्टियां की जायेंगी और उपर्युक्त वर्णित सारणी के स्तंभ संख्यांक 3 में यथा वर्णित शर्तें प्रत्येक प्रविष्टि के लिए पृथकतः लागू होंगी।

(4) आवेदक प्रत्येक प्रविष्टि के लिए पृथकतः रकम का निक्षेप, यदि स्कीम के अधीन निक्षेप किया जाना अपेक्षित हो, करेगा और प्रत्येक चालान प्ररूप प्र.क.ए.एस.-I में वर्णित किया जायेगा।

(5) जहां व्यवहारी के विरूद्ध कोई मांग परादेय है और मामला विभाग द्वारा फाइल किया गया है, वहां ऐसे मामलों में आवेदक खण्ड 4 में वर्णित सारणी के स्तंभ संख्यांक 3 में यथा वर्णित रकम का निक्षेप करने के पश्चात्, इस स्कीम के लिए विकल्प ले सकेगा, ऐसी परिस्थितियों में ऐसे मामले के प्रत्याहरण का कोई सबूत प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा और मामला विभाग द्वारा प्रत्याहृत कर लिया जायेगा।

(6) निर्धारण प्राधिकारी आवेदन की प्राप्ति पर, आवेदन में वर्णित तथ्यों का सत्यापन करेगा और समाधान होने पर, इस स्कीम से संलग्न प्ररूप प्र.क.ए.एस.-II को पूर्ण करेगा।

(7) निर्धारण प्राधिकारी मांग और संग्रहण रजिस्टर में से ब्याज और/या शास्ति और/या, यथास्थिति, विलम्ब फीस की परादेय मांग को भी कम करेगा।

(8) निर्धारण प्राधिकारी संबंधित उपायुक्त (प्रशासन) को प्ररूप प्र.क.ए.एस.-II की प्रति अग्रेषित करेगा और वह, उन मामलों में जहां अधित्यजन की कुल रकम दस लाख रुपये से अधिक है, प्ररूप प्र.क.ए.एस.-II की प्रति आयुक्त को भी अग्रेषित करेगा।

(9) निर्धारण प्राधिकारी आवेदक को भी प्ररूप प्र.क.ए.एस.-II की प्रति अग्रेषित करेगा।

6. शर्त.- इस स्कीम के अधीन अधित्यजन के कारण कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

प्ररूप प्र.क.ए.एस.-I
(खण्ड 5 देखिए)
(व्यवहारी/व्यक्ति द्वारा भरा जाये)
भाग-क

1. आवेदक का नाम और पता :
2. वृत/वार्ड का नाम :
3. रजिस्ट्रीकरण सं., यदि कोई हो :
4. ई-मेल पता, यदि कोई हो :
5. मांग के ब्यौरे (प्रत्येक परादेय मांग के लिए पृथक प्रविष्टि की जायेगी):

क्र. सं.	वर्ष	आदेश की तारीख	मांग की रकम (रु.)				
			कर	ब्याज	शास्ति	विलम्ब फीस	कुल
1.							
2.							

6. व्यवहारी या व्यक्ति के प्रवर्ग के सम्बन्ध में खण्ड 4 की सारणी के क्रम संख्यांक का वर्णन करें: (प्रत्येक परादेय मांग के लिए पृथक प्रविष्टि की जायेगी)

क्र.सं.	वर्ष	आदेश की तारीख	व्यवहारी या व्यक्ति का प्रवर्ग (समुचित खाने में निशान लगायें)							
			1		2		3		4	
			1		2		3		4	

7. निक्षिप्त रकम के ब्यौरे: (प्रत्येक परादेय मांग के लिए पृथक प्रविष्टि की जायेगी)

क्र.सं.	वर्ष	निक्षिप्त रकम (रु.)	निक्षेप की तारीख	जी.आर.एन/सी.आई.एन.

भाग-ख

परादेय मांग विवाद-ग्रस्त होने की दशा में भरा जाये

8. मामले के फाइल किये जाने की तारीख :
9. न्यायालय/फोरम का नाम जिसमें मामला लंबित है :
10. मामले की प्रकृतिः अपील/पुनरीक्षण/रिट याचिका/विशेष अपील/उक्त अधिनियम की धारा 35 के अधीन अभियोजन/अन्यः
11. मामले की वर्तमान प्रास्थिति और अंतर्ग्रस्त विवाद्यक :
12. आवेदक की हैसियत : अपीलार्थी/प्रत्यर्थी
13. लम्बित मामले के प्रत्याहरण के लिए फाइल किये गये आवेदन की तारीख (यदि मामला आवेदक द्वारा फाइल किया गया है) :

आवेदक के हस्ताक्षरः

दिनांक :
नाम :
स्थान :
हैसियत :

सत्यापन

मैं, इसके द्वारा, सत्यापित करता हूं कि उपर्युक्त दी गयी सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :
नाम :
स्थान :
हैसियत :

प्ररूप प्र.क.ए.एस.-II

(खण्ड 5 देखिए)

(निर्धारण प्राधिकारी/संबंधित प्राधिकारी द्वारा भरा जाये)

(i) वृत/ वार्ड का नाम :
(ii) व्यवहारी या व्यक्ति का नाम और पताः
(iii) रजिस्ट्रीकरण संख्यांक, यदि कोई होः
(iv) प्राधिकारी जिसका आदेश मुकदमे के अधीन है :
(v) मुकदमे की दशा में, मामले के प्रत्याहरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख :
(vi) आवेदक के विरूद्ध विभाग द्वारा फाइल किये गये अभियोजन की दशा में, अभियोजन की मंजूरी की तारीख और संख्याः
(vii) आवेदन के प्रस्तुत करने की तारीख पर मांग और संग्रहण रजिस्टर के अनुसार परादेय मांग के ब्यौरे :

क्र. सं.	वर्ष	आदेश की तारीख	मांग की रकम (रु.)				
			कर	ब्याज	शास्ति	विलम्ब फीस	कुल
1.							
2.							

(viii) आवेदन के प्रस्तुत करने की तारीख तक परादेय मांग पर प्रोद्भूत ब्याज की रकम : रु. .....

(ix) निक्षिप्त रकम का सत्यापन :

क्र. सं.	वर्ष	आदेश की तारीख	निक्षिप्त रकम (रु.)				निक्षेप की तारीख
			कर	शास्ति	विलम्ब फीस	ब्याज	
1.							
2.							

सत्यापन

मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन का परीक्षण कर लिया है और सत्यापित करता हूं कि आवेदक ने अधिसूचना सं.एफ.12(14)एफडी/टैक्स/2017-96 दिनांक 08.03.2017 की शर्तों का पालन किया है, इसलिए निम्नलिखित सारणी में यथावर्णित शास्ति और ब्याज की अतिशेष परादेय मांग, मांग और संग्रहण रजिस्टर से घटा दी गयी है:-

सारणी

क्र. सं.	वर्ष	आदेश की तारीख	मा.सं.र.के अनुसार परादेय रकम				
			कर	ब्याज	शास्ति	विलम्ब फीस	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							

निक्षिप्त रकम					अधित्यजित रकम		
कर	ब्याज	शास्ति	विलम्ब फीस	कुल	मांग की अतिशेष रकम	स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज	कुल
9	10	11	12	13	14	15	16

निर्धारण प्राधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांकः नामः
स्थानः पदनामः

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-96]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.164.-राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, राज्य के किसी स्थानीय क्षेत्र में सभी प्रकार के यार्न के प्रवेश पर अधिनियम के अधीन संदेय कर से दिनांक 08.03.2016 से निम्नलिखत शर्तों पर इसके द्वारा, छूट देती है:-

(i) कि ऐसे यार्न को प्राप्त करने वाले व्यवहारी या व्यक्ति ने किसी व्यवहारी या व्यक्ति के साथ, जिसका कार्यालय राज्य से बाहर है, ऐसे यार्न पर जॉब वर्क के लिए करार किया है;

(ii) कि ऐसा यार्न उक्त करार के अनुसरण में जॉब वर्क के लिए अनन्य रूप से राज्य के बाहर से स्थानीय क्षेत्र में लाया गया है; और

(iii) कि ऐसे यार्न को प्राप्त करने वाला व्यवहारी या व्यक्ति इस प्रकार प्राप्त किये गये यार्न और ऐसे यार्न से विनिर्मित तैयार माल को उस व्यवहारी या व्यक्ति, जिससे उसने यार्न प्राप्त किया है, को वापस भेजने के ब्यौरे आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान द्वारा विहित की गयी रीति में प्रस्तुत करेगा।

पूर्व में निक्षिप्त कर, शास्ति और ब्याज की किसी रकम, यदि कोई, का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-97]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.165.-राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24) की धारा 7 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा करने के लिए युक्तियुक्त आधार विद्यमान है, सेवा प्रदाता द्वारा किसी मनोरंजन के प्रवेश के लिए टिकटों की ऑनलाईन बुकिंग की सेवा प्रदान करने के लिए प्रभारित रकम पर उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन उद्गृहणीय मनोरंजन कर का दिनांक 01.08.2014 से 100 प्रतिशत परिहार इसके द्वारा इस शर्त पर करती है कि उक्त रकम पर प्रभारित या संगृहीत मनोरंजन कर की रकम राज्य सरकार को निक्षिप्त करायी जायेगी और यदि पहले से निक्षिप्त करा दी गयी है तो उसका प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-98]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.166.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 51क के साथ पठित राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यान के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम सं. 14), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के अधित्यजन के लिए निम्नलिखित मोटर यानों पर प्रवेश कर के लिए एमनेस्टी स्कीम-2017, जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इसके द्वारा अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रवर्तन कालावधि.– (1) इस स्कीम का नाम मोटर यानों पर प्रवेश कर के लिए एमनेस्टी स्कीम–2017 है।

(2) यह स्कीम दिनांक 08.03.2017 से प्रवृत्त होगी और 30 अप्रैल, 2017 तक प्रवृत्त रहेगी।

2. परिभाषाएं.– (1) इस स्कीम में, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(i) ''आवेदक'' से निर्धारण प्राधिकारी या संबंधित प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करके स्कीम के लिए विकल्प देने वाला कोई आयातक अभिप्रेत है; और

(ii) ''विभाग'' से वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान अभिप्रेत है।

(2) इस स्कीम में प्रयुक्त किये गये किंतु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों में उन्हें समनुदेशित किया गया है।

3. स्कीम का लागू होना.– स्कीम ऐसे आयातक को लागू होगी जिसके विरूद्ध दिनांक 08.03.2017 को अधिनियम के अधीन कोई मांग परादेय है और वह 31 दिसम्बर, 2016 तक सृजित हुई है।

4. स्कीम के अधीन फायदे.– ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस की रकम नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में यथा वर्णित आयातक के प्रवर्ग के लिए स्तंभ संख्यांक 3 में यथा वर्णित ऐसी शर्तों की पूर्ति पर स्तंभ संख्यांक 4 में यथा वर्णित सीमा तक अधित्यजित की जायेगी :–

सारणी

क्र. सं.	आयातक का प्रवर्ग	शर्तें	ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के अधित्यजन की सीमा
1	2	3	4
1.	आयातक जिसके विरूद्ध दिनांक 31.12.2016 को या उससे पूर्व मांग सृजित की गयी है।	(i) आवेदक ने दिनांक 30.04.2017 तक कर की संपूर्ण रकम अतिशेष परादेय मांग के दस प्रतिशत के साथ (मांग और संग्रहण रजिस्टर के अनुसार) निक्षिप्त करा दी है; और (ii) आवेदक ने मामले के प्रत्याहरण के लिए आवेदन दिनांक 30.04.2017 तक प्रस्तुत कर दिया है यदि कोई मामला किसी न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है।	स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस से संबंधित मांग की शेष रकम।

स्पष्टीकरणः(1) जहां कोई रकम मांग के विरूद्ध, उसके सृजन के पश्चात्, स्कीम के जारी होने से पूर्व निक्षिप्त की गयी है और स्कीम के अधीन अतिशेष परादेय मांग के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, वहां पूर्व में निक्षिप्त रकम को, यदि चालान में विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं है, तो पहले कर दायित्व के विरूद्ध, अतिशेष यदि कोई हो, अन्य राशि के विरूद्ध समायोजित की जायेगी। तथापि, यदि किसी

न्यायालय आदेश की अनुपालना में कोई रकम निक्षिप्त की गयी है तो वह तद्नुसार समायोजित की जायेगी।

(2) जहां मांग पूर्ण रूप से ब्याज और/या शास्ति और/या विलम्ब फीस को समाविष्ट करती है, वहां ऐसे मामलों में कर की रकम निक्षिप्त की गयी समझी जायेगी।

(3) जहां कोई आवेदन मांग से संबंधित परिशुद्धि के लिए, जिसके लिए आयातक स्कीम के अधीन विकल्प का आशय रखता है, निर्धारण प्राधिकारी या संबंधित प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है, तब ऐसे आयातक से लिखित में संसूचना पर, वह उसे ऐसी संसूचना से सात दिवस के भीतर या 30 अप्रैल, 2017 तक, जो भी पहले हो, निपटायेगा।

5. फायदे प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया.– (1) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए, आवेदक विभाग की शासकीय वेबसाइट से दिनांक 30.04.2017 तक इस स्कीम से संलग्न प्ररूप मो.या.ए.एस.-I में आवेदन जनित करेगा और ऐसा जनित प्ररूप मो.या.ए.एस.-I कर और अन्य राशि, यदि कोई हो, के निक्षेप के सबूत के साथ और न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकरण से लम्बित मामले के प्रत्याहरण के लिए फाइल किये गये आवेदन की स्व अधिप्रमाणित प्रति, यदि लागू हो, दिनांक 07.05.2017 तक निर्धारण प्राधिकारी या संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(2) खण्ड 3 के अध्यधीन रहते हुए, यदि परादेय मांग में बहु प्रविष्टियां अन्तर्वलित हैं तो आवेदक प्रविष्टियों की किसी भी संख्या, जो वह चाहता है, के लिए आवेदन कर सकेगा।

(3) प्रत्येक परादेय मांग की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए प्ररूप मो.या.ए.एस.-I में पृथक प्रविष्टियां की जायेंगी और उपर्युक्त वर्णित सारणी के स्तंभ संख्यांक 3 में यथा वर्णित शर्तें प्रत्येक प्रविष्टि के लिए पृथकतः लागू होंगी।

(4) आवेदक प्रत्येक प्रविष्टि के लिए पृथकतः रकम का निक्षेप, यदि स्कीम के अधीन निक्षेप किया जाना अपेक्षित हो, करेगा और प्रत्येक चालान प्ररूप मो.या.ए.एस.-I में वर्णित किया जायेगा।

(5) जहां आयातक के विरूद्ध कोई मांग परादेय है और मामला विभाग द्वारा फाइल किया गया है, वहां ऐसे मामलों में आवेदक खण्ड 4 में वर्णित सारणी के स्तंभ संख्यांक 3 में यथा वर्णित रकम का निक्षेप करने के पश्चात्, स्कीम के लिए विकल्प ले सकेगा, ऐसी परिस्थितियों में आवेदक से ऐसे मामले के प्रत्याहरण का कोई सबूत प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा और मामला विभाग द्वारा प्रत्याहृत कर लिया जायेगा।

(6) निर्धारण प्राधिकारी आवेदन की प्राप्ति पर, आवेदन में वर्णित तथ्यों का सत्यापन करेगा और समाधान होने पर, स्कीम से संलग्न प्ररूप मो.या.ए.एस.-II को पूर्ण करेगा और मांग और संग्रहण रजिस्टर में से ब्याज और/या शास्ति और/या, यथास्थिति, विलम्ब फीस की परादेय मांग को भी कम करेगा।

(7) निर्धारण प्राधिकारी संबंधित उपायुक्त (प्रशासन) को प्ररूप मो.या.ए.एस.-II की प्रति अग्रेषित करेगा और वह, उन मामलों में जहां अधित्यजन की कुल रकम दस लाख रुपये से अधिक है, प्ररूप मो.या.ए.एस.-II की प्रति आयुक्त को भी अग्रेषित करेगा।

(8) निर्धारण प्राधिकारी आवेदक को भी प्ररूप मो.या.ए.एस.-II की प्रति अग्रेषित करेगा।

6. शर्त.– इस स्कीम के अधीन अधित्यजन के कारण कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

प्ररूप मो.या.ए.एस.-I
(खण्ड 5 देखिए)
(आयातक द्वारा भरा जाये)
भाग-क

1. आवेदक का नाम और पता :
2. वृत/वार्ड का नाम :
3. रजिस्ट्रीकरण सं., यदि कोई हो :
4. ई-मेल आई.डी., यदि कोई हो :
5. मांग के ब्यौरे : (प्रत्येक परादेय मांग के लिए पृथक प्रविष्टि की जायेगी)

क्र.सं.	वर्ष	आदेश की तारीख	मांग की रकम (रु.)		
			कर	अन्य	कुल
1.					
2.					

6. निक्षिप्त रकम के ब्यौरे : (प्रत्येक परादेय मांग के लिए पृथक प्रविष्टि की जायेगी)

क्र.सं.	वर्ष	निक्षिप्त रकम (रु.)	निक्षेप की तारीख	जी.आर.एन/सी.आई.एन.

भाग-ख
परादेय मांग विवाद-ग्रस्त होने की दशा में भरा जाये

7. मामले के फाइल किये जाने की तारीख :
8. न्यायालय/फोरम का नाम जिसमें मामला लंबित है :
9. मामले की प्रकृतिः अपील/पुनरीक्षण/रिट याचिका/विशेष अपील/अभियोजन/अन्य
10. मामले की वर्तमान प्रास्थिति और उसमें अंतर्ग्रस्त विवाद्यक :
11. आवेदक की हैसियत : अपीलार्थी/प्रत्यर्थी
12. लम्बित मामले के प्रत्याहरण के लिए आवेदन फाइल किये जाने की तारीख (यदि मामला आवेदक द्वारा फाइल किया गया है :

आवेदक के हस्ताक्षरः
दिनांक :
नाम :
स्थान :
हैसियत :

सत्यापन

मैं, इसके द्वारा, सत्यापित करता हूं कि उपर्युक्त दी गयी सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर
दिनांक :
नाम :
स्थान :
हैसियत :

प्ररूप मो.या.ए.एस.-II
(खण्ड 5 देखिए)
(निर्धारण प्राधिकारी द्वारा भरा जाये)

(i) वृत/ वार्ड का नाम :
(ii) आयातक का नाम और पताः
(iii) रजिस्ट्रीकरण संख्यांक, यदि कोई होः
(iv) प्राधिकारी जिसका आदेश मुकदमे के अधीन है :
(v) मुकदमे की दशा में, मामले के प्रत्याहरण के लिए आवेदन के प्रस्तुतीकरण की तारीख :

(vi) आवेदक के विरूद्ध विभाग द्वारा फाइल किये गये अभियोजन की दशा में, अभियोजन की मंजूरी की तारीख और संख्याः

(vii) आवेदन के प्रस्तुतीकरण की तारीख पर मांग और संग्रहण रजिस्टर के अनुसार परादेय मांग के ब्यौरे :

क्र.सं.	वर्ष	आदेश की तारीख	मांग की रकम (रु.)		
			कर	अन्य	कुल
1.					
2.					

(viii) आवेदन के प्रस्तुतीकरण की तारीख तक परादेय मांग पर प्रोद्भूत ब्याज की रकम : रु. .....

(ix) निक्षिप्त रकम का सत्यापन :

क्र.सं.	वर्ष	आदेश की तारीख	निक्षिप्त रकम (रु.)		निक्षेप की तारीख
			कर	अन्य	
1.					
2.					

सत्यापन

मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन का परीक्षण कर लिया है और सत्यापित करता हूं कि आवेदक ने अधिसूचना सं.एफ.12(14)एफडी/टैक्स/2017-99 दिनांक 08.03.2017 की शर्तों का पालन किया है, इसलिए निम्नलिखित सारणी में यथावर्णित ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस की अतिशेष परादेय मांग, मांग और संग्रहण रजिस्टर से घटा दी गयी हैः-

सारणी

क्र. सं.	वर्ष	आदेश की तारीख	मा.सं.र. के अनुसार परादेय रकम		निक्षिप्त रकम		अधित्यजित रकम		
							मांग की अतिशेष रकम	स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज	कुल
			कर	अन्य	कर	अन्य			
1.									
2.									

निर्धारण प्राधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांकः
स्थानः

नामः
पदनामः

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-99]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.167.-राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं. 12) की धारा 3 के परन्तुक के खण्ड (3), धारा 3ख और धारा 3ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, मैट्रो रेल के निम्नलिखित संचालन और रखरखाव में

उपभुक्त ऊर्जा पर जयपुर मैट्रो रेल निगम द्वारा संदेय विद्युत शुल्क, जल संरक्षण उपकर और नगरीय उपकर से इसके द्वारा, तुरंत प्रभाव से छूट देती है, अर्थात्:-

1.	मैट्रो रेल संचालन
2.	विद्युत उप केन्द्र(केन्द्रों)
3.	रखरखाव डिपो
4.	मैट्रो स्टेशन जिसमें सम्मिलित हैं :-
	(क) स्टेशन लाईटिंग, एयर कंडीशनिंग, एयर कूलिंग और सर्कुलेशन उपस्कर;
	(ख) स्टेशन नियंत्रण कक्ष, बुकिंग कार्यालय, किराया संग्रहण मशीनें;
	(ग) सुरक्षा उपस्कर और कक्ष, जन सुविधा कक्ष, जल प्रदाय उपस्कर;
	(घ) इलैक्ट्रिकल, सिग्नल और टेलीकॉम रखरखाव कक्ष;
	(ङ) लिफ्टें, एस्कलेटर्स, अग्निशामक उपस्कर;
	(च) पार्किंग और सर्कुलेटिंग क्षेत्र में लाईटिंग; और
	(छ) मैट्रो प्रणाली के संचालन और रखरखाव के लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त और अनुमोदित अन्य क्रियाकलाप केन्द्र, जहाँ विद्युत लागत ज.मै.रे.नि. द्वारा वहन की जाती है।

किन्तु यह छूट निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुये अन्य क्रियाकलापों में उपभुक्त ऊर्जा पर लागू नहीं होगी:-

1.	मैट्रो नेटवर्क के विस्तार के लिए सन्निर्माण और अन्य संकर्म
2.	ज.मै.रे.नि. के स्वमित्वाधीन / पट्टाकृत आवासीय भवन
3.	आउटसोर्स्ड वाणिज्यिक क्रियाकलाप, जहां विद्युत लागत ज.मै.रे.नि. द्वारा प्रभारित की जाती है, उदाहरणार्थ :-
	(क) विज्ञापन;
	(ख) खुदरा दुकानें;
	(ग) एटीएम, मोबाइल टावर्स, वाई-फाई सुविधा; और
	(घ) कोई अन्य वाणिज्यिक क्रियाकलाप।
4.	कारपोरेट और अन्य कार्यालय, जो प्रत्यक्ष संचालन और रखरखाव के भाग नहीं है।

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-100]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.168.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि पैतृक संपत्ति से भिन्न संपत्ति के विभाजन की लिखत पर

प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और संपत्ति के पृथक किये गये हिस्से या हिस्सों के बाजार मूल्य पर 3 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-101]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.169.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 5 के खण्ड (ग) और अनुच्छेद 44 के खण्ड (ङ) के उप-खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और 0.5 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-102]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.170.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ. 4(6)एफ.डी./टैक्स/2016-225 दिनांक 08.3.2016 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 5 के खण्ड (घ) और अनुच्छेद 6 में विनिर्दिष्ट लिखतों पर पाँच लाख रुपये से अधिक प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-103]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.171.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं0 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.4(6)एफ.डी./टैक्स/2016-214 दिनांक

08.03.2016 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 30 के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) और अनुच्छेद 37 के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और अधिकतम पाँच लाख रूपये के अध्यधीन रहते हुए 0.15 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-104]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.172.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.4(6)एफ.डी./टैक्स/ 2016-227 दिनांक 08.03.2016 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति, ''31.3.2017'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''31.3.2018'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-105]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.173.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.4(6)एफ.डी./टैक्स/2016-228 दिनांक 08.03.2016 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति, ''31.3.2017'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''31.3.2018'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-106]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.174.–राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.4(6)एफ.डी./टैक्स/2016-229 दिनांक 08.03.2016 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति, ''31.3.2017'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''31.3.2018'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-107]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.175.–राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.4(6)एफ.डी./टैक्स/2016-230 दिनांक 08.03.2016 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति, ''31.3.2017'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''31.3.2018'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-108]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.176.–राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.4(6)एफ.डी./टैक्स/2016-226 दिनांक 08.03.2016 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित

में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 6) के अधीन भागीदारी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी या असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन संबंधी 31.03.2009 को या उसके पश्चात् निष्पादित लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और 0.5 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा किन्तु पूर्व में संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-109]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.177.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं0 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि आस्ति पुनर्गठन या प्रतिभूतिकरण के प्रयोजनों के लिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 54) की धारा 5 के अधीन बैंकों या वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय आस्तियों में अधिकारों या हितों के वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 54) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (खक) में यथा परिभाषित किसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी के पक्ष में अन्तरण या समनुदेशन के लिए निष्पादित किसी करार या अन्य दस्तावेज पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-110]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.178.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्यांक एफ.4(15)एफ.डी.

/टैक्स/2014-55 दिनांक 14 जुलाई, 2014 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान क्रम संख्यांक 3 और 4 और उनकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"

3.	यदि पट्टा विलेख, किसी व्यक्ति के पक्ष में 31.05.2013 को या उससे पूर्व निष्पादित अरजिस्ट्रीकृत या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित लिखतों और 30.11.2017 को या उससे पूर्व संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय के समक्ष पट्टा विलेख का आवेदन या आवासन सहकारी सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर जारी किया गया है।	ब्याज और शास्ति, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में संदत्त प्रीमियम, विकास प्रभारों, संपरिवर्तन प्रभारों और अन्य प्रभारों की रकम और दो वर्ष के भाटक की औसत रकम पर, इन शर्तों के अध्यधीन कि,- (i) संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय, पट्टा विलेख पर पृष्ठांकन करेगा या इस आशय का एक प्रमाणपत्र जारी करेगा कि पट्टा विलेख 30.11.2017 को या उससे पूर्व प्रस्तुत आवेदन या अभिलेख के आधार पर जारी किया गया है। (ii) पट्टा धारक अपने पट्टा विलेख के साथ सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा जारी प्रमाणपत्र जिसमें अचल सम्पत्ति के संबंध में निष्पादित मध्यवर्ती अरजिस्ट्रीकृत और अस्टाम्पित लिखतों की संख्या और निष्पादन की तारीख कथित हो, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। (iii) पट्टा विलेख 31.12.2017 को या उससे पूर्व रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रस्तुत किया जायेगा।
4.	यदि पट्टा विलेख 31.05.2013 को या उससे पूर्व निष्पादित अरजिस्ट्रीकृत या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित लिखतों के आधार पर जारी किया गया है, किन्तु ऐसा पट्टा विलेख रजिस्ट्रीकरण के लिए 31.12.2017 के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है।	संबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उस क्षेत्र के आरक्षित मूल्य की विहित वर्तमान दरों के आधार पर संगणित मूल्य पर और यदि क्षेत्र के आरक्षित मूल्य की दरें विहित नहीं की गयी हैं, तो निकटवर्ती क्षेत्र के आरक्षित मूल्य पर, इस शर्त के अध्यधीन कि पट्टा धारक अपने पट्टा विलेख के साथ सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा जारी प्रमाणपत्र जिसमें अचल सम्पत्ति के संबंध में निष्पादित मध्यवर्ती अरजिस्ट्रीकृत और अस्टाम्पित लिखतों की संख्या और निष्पादन की तारीख कथित हो, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

"

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-111]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.179.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.4(15)एफ.डी./टैक्स/2014-56 दिनांक 14.07.2014 को इसके द्वारा विखण्डित करती है।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-112]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.180.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.4(6)एफ.डी./टैक्स/2016-220 दिनांक 08.03.2016 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि विकास प्राधिकरणों, राजस्थान आवासन बोर्ड, नगर सुधार न्यासों, नगरपालिकाओं, रीको या अन्य निजी विकासकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अधीन पात्र व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित आवासीय इकाई के पट्टे या विक्रय की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और इस शर्त पर प्रतिफल की रकम का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मामले में क्रमशः 2 प्रतिशत और निम्न आय समूह के मामले में 3.5 प्रतिशत की दर पर प्रभारित किया जायेगा कि निजी विकासकर्ता द्वारा आवासीय इकाइयों के आवंटन की दशा में आवंटिती, आवासीय इकाई के पट्टे या विक्रय के विलेख के रजिस्ट्रीकरण के समय,-

(i) मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अधीन अनुमोदित स्कीम के नक्शे की प्रतियां; और

(ii) विकास प्रधिकरणों, राजस्थान आवासन बोर्ड, नगर सुधार न्यासों, नगरपालिकाओं या, यथास्थिति, रीको द्वारा अनुमोदित समस्त आवंटितियों की सूची;

प्रस्तुत करेगा।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-113]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.181.–राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान रूग्ण सूक्ष्म और लघु उपक्रमों (पुनरूज्जीवन और पुनर्वास) स्कीम, 2015 में यथा परिभाषित किसी रूग्ण उपक्रम की स्थावर सम्पत्ति के, ऐसे उपक्रम के पुनरूज्जीवन के प्रयोजन के लिए, अन्तरण की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का, उक्त स्कीम के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी रूग्णता प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर, परिहार किया जायेगा।

यह अधिसूचना 10.11.2015 से प्रवृत्त होगी किन्तु पहले से संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-114]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.182.–राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि,-

1. स्टाम्प शुल्क पर संदेय ब्याज और शास्ति का निम्नलिखित मामलों में परिहार किया जायेगा, अर्थात् :-
   (i) इस अधिसूचना की तारीख तक कलक्टर (स्टाम्प) के समक्ष लम्बित ऐसे मामले जिनमें संदेय स्टाम्प शुल्क दिनांक 08.03.2017 से 30.4.2017 तक की कालावधि के दौरान निक्षिप्त करा दिया गया हो।
   (ii) दिनांक 08.03.2017 से 30.04.2017 की कालावधि के दौरान कलक्टर (स्टाम्प) के समक्ष फाइल किये गये ऐसे मामले जिनमें संदेय स्टाम्प शुल्क दिनांक 08.03.2017 से 30.04.2017 तक की कालावधि के दौरान निक्षिप्त करा दिया गया हो।
   (iii) इस अधिसूचना की तारीख तक कलक्टर (स्टाम्प) द्वारा न्यायनिर्णीत ऐसे मामले जिनमें संदेय स्टाम्प शुल्क दिनांक 08.03.2017 से 30.4.2017 तक की कालावधि के दौरान निक्षिप्त करा दिया गया हो।
   (iv) इस अधिसूचना की तारीख तक राजस्थान कर बोर्ड, राजस्थान उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में लम्बित ऐसे मामले जिनमें पक्षकार मामले को प्रत्याहृत कर लेता है और ऐसे प्रत्याहरण का सबूत प्रस्तुत कर देता है और संदेय स्टाम्प शुल्क दिनांक 08.03.2017 से 30.04.2017 तक की कालावधि के दौरान निक्षिप्त करा दिया गया हो।

2. उन मामलों में जहां कलक्टर (स्टाम्प) द्वारा न्यायनिर्णीत स्टाम्प शुल्क इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व पहले ही निक्षिप्त करा दिया गया है, वहां स्टाम्प शुल्क पर संदेय ब्याज और शास्ति की रकम में 80 प्रतिशत की कमी अनुज्ञात की जायेगी यदि ब्याज और शास्ति की शेष 20 प्रतिशत रकम 08.03.2017 से 30.04.2017 तक की कालावधि के दौरान निक्षिप्त करा दी गयी है।

3. राजस्थान कर बोर्ड, राजस्थान उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष लम्बित ऐसे मामले जिनमें संदेय स्टाम्प शुल्क की कुल रकम इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व निक्षिप्त करा दी गयी है और पक्षकार मामले को प्रत्याहृत कर लेता है और ऐसे प्रत्याहरण का सबूत प्रस्तुत कर देता है वहां स्टाम्प शुल्क पर संदेय ब्याज और शास्ति की रकम में 80 प्रतिशत की कमी अनुज्ञात की जायेगी यदि ब्याज और शास्ति की शेष 20 प्रतिशत रकम 08.03.2017 से 30.04.2017 तक की कालावधि के दौरान निक्षिप्त करा दी गयी है।

4. राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण फाइल करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 65 के परन्तुक के अधीन निक्षिप्त रकम स्टाम्प शुल्क के संदाय के मद्दे समायोजित की जायेगी।

5. उपर्युक्त मामलों में, पहले से संदत्त स्टाम्प शुल्क या अन्य रकम का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-115]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.183.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि 14 जुलाई, 2014 तक निष्पादित और उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा कलक्टर (स्टाम्प) को निर्दिष्ट निम्नलिखित अरजिस्ट्रीकृत या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित मध्यवर्ती लिखतों पर ब्याज और शास्ति का परिहार किया जायेगा, अर्थात्:-

(i) राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, कृषि उपज मंडी और मंडी समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको), राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ द्वारा या राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकारी या उपक्रम द्वारा आवंटित या विक्रीत भूमि के संबंध में पूर्वोक्त प्राधिकारियों से पट्टा विलेख प्राप्त करने से पूर्व, निष्पादित अरजिस्ट्रीकृत या असम्यक् रूप से स्टाम्पित मध्यवर्ती लिखत; और

(ii) नगरीय स्थानीय निकायों से पट्टा विलेख प्राप्त करने से पूर्व आवासीय सहकारी सोसाइटियों द्वारा आवंटित या विक्रीत भूमि के संबंध में निष्पादित अरजिस्ट्रीकृत या असम्यक् रूप से स्टाम्पित मध्यवर्ती लिखत।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-116]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.184.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 86 और 87 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये दिनांक 01.04.2017 से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 24 का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 24 में,-

(i) विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(1) अनुज्ञप्ति की मंजूरी या अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये आवेदन कलक्टर को प्ररूप क में प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन के साथ शीर्ष 0030 के अधीन कोषालय में विहित फीस संदत्त करने वाला ई-ग्रास चालान होगाः

परन्तु अनुज्ञप्ति की मंजूरी या अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये आवेदन प्ररूप कक में इलैक्ट्रोनिक रूप से भी किया जा सकेगा।'';

(ii) उप-नियम 3 के खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''और'' हटायी जायेगी;

(iii) उप-नियम 3 के खण्ड (ग) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''समकक्ष परीक्षा;'', के स्थान पर अभिव्यक्ति ''समकक्ष परीक्षा; और'' जोड़ी जायेगी;

(iv) इस प्रकार संशोधित उप-नियम 3 के खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड (घ) जोडा जायेगा, अर्थात्:-

''(घ) कि वह राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।'';

(v) उप-नियम (4) के खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति '' ''शीर्ष 0030 रजिस्ट्रीकरण स्टाम्प विविध'' के अधीन विहित फीस संदत्त करने वाला कोषालय चालान और जिसमें 5 रु. (रुपये पांच मात्र) का

न्यायालय फीस लेबल लगा होगा'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''शीर्ष 0030 के अधीन कोषालय में विहित फीस संदत्त करने वाला ई-ग्रास चालान'' प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(vi) उप-नियम (6) में, विद्यमान अभिव्यक्ति '' ''शीर्ष 0030 रजिस्ट्रीकरण और स्टाम्प विविध के अधीन'' '' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''शीर्ष 0030 के अधीन'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. नियम 48 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 48 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''आवेदन'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''आवेदन इलेक्ट्रोनिक रूप से या अन्यथा'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. नियम 53 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 53 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''स्वयं के हाथ से अभिलिखित की जायेगी'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''तीन मास के भीतर स्वयं के हाथ से अभिलिखित की जायेगी'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. नियम 57 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 57 के खण्ड (iii) में,

(i) विद्यमान द्वितीय परन्तुक के पश्चात् और विद्यमान तृतीय परन्तुक के पूर्व, निम्नलिखित नया परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''परन्तु यह भी कि लिखत में वर्णित तथ्यों की सत्यता का अभिनिश्चय करने के लिए और ऐसी लिखत में वर्णित अचल सम्पत्ति के सही बाजार मूल्य के अवधारण के लिये, महानिरीक्षक स्टाम्प इलैक्टोनिक युक्ति या अन्यथा के माध्यम से निरीक्षण की रीति और मानक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगा।''; और

(ii) विद्यमान तृतीय परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''परन्तु यह और कि'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''परन्तु यह भी कि'' प्रतिस्थपित की जायेगी।

6. प्ररूप ''क'' का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप ''क'' में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति ''(पांच रुपये की कोर्ट फीस लेबल चिपकाया जाये)'' हटायी जायेगी; और

(ii) विद्यमान टिप्पण, ''1. पांच रुपये की कोर्ट फीस लेबल चिपकाइये'' के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''1. पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाइये।''

7. प्ररूप ''कक'' का अंतःस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न इस प्रकार संशोधित विद्यमान प्ररूप ''क'' के पश्चात् और विद्यमान प्ररूप ''ख'' के पूर्व, निम्नलिखित नया प्ररूप ''कक'' अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''प्ररूप ''कक''
(नियम 24 देखिए)

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अधीन स्टाम्प विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी या अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप

O नवीन अनुज्ञप्ति के लिए O नवीकरण के लिए

1. आवेदक का पूर्ण नाम और निवास का पता
2. जन्म तिथि
3. विक्रय का स्थान जहां आवेदक स्टाम्प विक्रय करने की वांछा करता है

स्थान

नगर

	तहसील	
	जिला	
4.	शैक्षणिक अहर्ताएं	
5.	रकम की सीमा जो आवेदक कोषालय से स्टाम्प क्रय करने में विनिधान करता है।	
6.	वर्तमान व्यवसाय, यदि कोई हो	
7.	क्या आवेदक अंशकालिक आधार पर या पूर्णकालिक आधार पर स्टाम्प विक्रेता के रूप में कार्य करना चाहता है	
8.	रिश्तेदार का नाम और पता, यदि कोई आवेदन दिये जाने की तारीख पर दस्तावेज लेखक या स्टाम्प विक्रेता के रूप में कार्य कर रहा है (रिश्ता कथित कीजिए)	
9.	क्या किसी दाण्डिक अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है या सरकारी/निजी सेवा से हटाया गया है (विशिष्टियाँ दीजिए)	
10.	मोबाइल नम्बर	
11.	ई-मित्र आई.डी., यदि कोई हो	

सुरक्षित और संदाय के लिए प्रक्रियाधीन	रद्द

जीआरएन नं. रकम

दस्तावेज अपलोड कीजिए

फोटो	10वीं की अंकतालिका	पुलिस सत्यापन	मूल निवास प्रमाणपत्र

चरित्र प्रमाणपत्र	ई-मित्र अनुज्ञप्ति

सबमिट

टिप्पणः

निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियाँ अपलोड कीजिए :-

1. विहित फीस के जमा किये जाने के समर्थन में ई-ग्रास चालान
2. अनुज्ञप्ति के नवीकरण की दशा में पूर्व अनुज्ञप्ति की प्रति
3. जन्म तिथि के समर्थन में प्रमाणपत्र
4. माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा की अंकतालिका

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 और प्ररूप ख में अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया है और मैं उनका पालन करने के लिए सहमति देता हूं।

स्थान : .....

तारीख : ..... आवेदक के हस्ताक्षर''

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-117]

राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.185.-राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) और उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्यांक एफ.4(4)एफ.डी./टैक्स/2015-226 दिनांक 09.03.2015 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान शीर्ष ''**8. 1000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले आवासीय या वाणिज्यिक भूखण्डों की दरें**'' और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''**8. 100 वर्गमीटर और उससे अधिक क्षेत्रफल वाले वाणिज्यिक भूखण्डों की दरें**

क्र. सं.	क्षेत्रफल	जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी दरों पर आधारित मूल्यांकन निम्नानुसार कम किया जायेगा
1.	100 से 500 वर्गमीटर	5 प्रतिशत
2.	500 वर्गमीटर से अधिक	100 से 500 वर्गमीटर पर 5 प्रतिशत और शेष क्षेत्र पर 10 प्रतिशत

''

ये दरें दिनांक 31.03.2018 तक प्रभावी रहेंगी।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-118]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.186.-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्यांक एफ.2(47)एफ.डी./टैक्स/09-04 दिनांक 09.04.2010 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, शीर्ष अनुच्छेद-I के अधीन, स्तम्भ संख्यांक 3 में,-

(i) क्रम संख्यांक 1 के सामने, विद्यमान अभिव्यक्ति ''मूल्य या प्रतिफल का एक प्रतिशत'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''अधिकतम चार लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए बाजार मूल्य या प्रतिफल का एक प्रतिशत'' प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) क्रम संख्यांक 6 के सामने, विद्यमान अभिव्यक्ति ''बाजार मूल्य या प्रतिफल का एक प्रतिशत'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''अधिकतम चार लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए बाजार मूल्य या प्रतिफल का एक प्रतिशत'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-119]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.187.-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि पैतृक संपत्ति से भिन्न संपत्ति के विभाजन की लिखत पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस घटायी जायेगी और अधिकतम दस हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए संपत्ति के पृथक किये गये हिस्से या हिस्सों के बाजार मूल्य पर 0.25 प्रतिशत की दर से प्रभारित की जायेगी।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-120]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.188.-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ. 4(15)एफ.डी./टैक्स/2014-66 दिनांक 14.7.2014 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की अनुसूची के अनुच्छेद 5 के खण्ड (ग) और अनुच्छेद 44 के खण्ड (ङ) के उप-खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट लिखतों पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस घटायी जायेगी और दस हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए 0.25 प्रतिशत की दर से प्रभारित की जायेगी।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-121]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.189.–रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि कुटुम्ब के सदस्यों के पक्ष में निष्पादित समझौते की लिखत पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस घटायी जायेगी और अधिकतम दस हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए ऐसी लिखत द्वारा व्यवस्थापित सम्पत्ति के बाजार मूल्य के 0.25 प्रतिशत की दर से प्रभारित की जायेगी।

स्पष्टीकरणः ''कुटुम्ब के सदस्य'' से व्यवस्थापक का पिता, माता, पत्नी, भाई, बहिन, पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री, पुत्रवधु अभिप्रेत है।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-122]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.190.–रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 35-ख के खण्ड (2) के उप-खण्ड (क) में यथा विनिर्दिष्ट सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 6) के अधीन भागीदारी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी या असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन संबंधी लिखतों पर दस हजार रुपये से अधिक प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस का परिहार किया जायेगा।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-123]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.191.–रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि बीस वर्ष से अनधिक की कालावधि के पट्टे, जिस पर

स्टाम्प शुल्क सम्पत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर प्रभारित किया गया है, पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस घटायी जायेगी और स्टाम्प शुल्क की रकम का 20 प्रतिशत प्रभारित किया जायेगा।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-124]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.192.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.6(179)परि/टैक्स/ एचक्यू/95/1आर दिनांक 14.7.2014 में इसके द्वारा, तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी के क्रम संख्यांक 5 की मद (क) के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''7.5 प्रतिशत'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''8.5 प्रतिशत'' प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) सारणी के क्रम संख्यांक 5 की मद (ख) के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''6.0 प्रतिशत'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''7.0 प्रतिशत'' प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii) स्पष्टीकरण (2) के विद्यमान खण्ड ''क.'' के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''क. नये यान/चैसिस की दशा में, किसी विनिर्माता या व्यवहारी द्वारा किसी प्रोत्साहन स्कीम के अधीन या अन्यथा कीमत में दिये गये किसी डिस्काउण्ट, रिबेट या रियायत को अपवर्जित करते हुए, समस्त करों और उद्ग्रहणों को सम्मिलित करते हुए क्रय बिल में यथा दर्शित एक्स-शोरूम कीमत होगी।''

[एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/1वी]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.193.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य

सरकार इस विभाग की, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/22सी दिनांक 14.7.2014 में इसके द्वारा, तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी के क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में, विद्यमान खण्ड (ख) और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित नया खण्ड (ग) और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :-

"

	(ग) ड्राईवर को छोड़कर 12 से अधिक और ड्राईवर और कण्डक्टर को छोड़कर 20 तक सीट क्षमता वाले मोटर यान (संविदा गाड़ी परमिट और पर्यटक परमिट)	
	(i) चैसिस के रूप में क्रय किया गया	चैसिस की लागत का 35 प्रतिशत
	(ii) सम्पूर्ण बॉडी के साथ क्रय किया गया	यान की लागत का 26 प्रतिशत

";और

(ii) स्पष्टीकरण के विद्यमान खण्ड "I." के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"I. नये यान/चैसिस की दशा में, किसी विनिर्माता या व्यवहारी द्वारा किसी प्रोत्साहन स्कीम के अधीन या अन्यथा कीमत में दिये गये किसी डिस्काउण्ट, रिबेट या रियायत को अपवर्जित करते हुए, समस्त करों और उद्ग्रहणों को सम्मिलित करते हुए क्रय बिल में यथा दर्शित एक्स-शोरूम कीमत होगी।"

[एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/22ई]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.194.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ. 6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/5बी दिनांक 31.03.2000 में इसके द्वारा, दिनांक 01.04.2017 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी के क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "2000 रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "4000/- रु." प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) सारणी के क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''4000 रु.'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''8000/- रु.'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/5सी]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.195.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-ग के द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्यांक एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/3 दिनांक 09.3.2015 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि 01.04.2007 को या इसके पश्चात् राज्य में रजिस्ट्रीकृत या समनुदिष्ट मोटर यानों के निम्नलिखित वर्गों से उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) या (ङ) और धारा 4-ख के अधीन संदेय कर के स्थान पर धारा 4-ग के अधीन एकमुश्त कर का अनिवार्य रूप से संदाय करना अपेक्षित होगाः-

1. 3000 किग्रा से अधिक और 16500 किग्रा तक सकल भार वाले चार पहिया माल यानों के समस्त प्रवर्ग;
2. ड्राइवर और कन्डक्टर को छोड़कर बीस तक की सीट क्षमता वाले संविदा गाडी यानों के समस्त प्रवर्ग;
3. ड्राइवर और कन्डक्टर को छोड़कर बीस तक की सीट क्षमता वाले पर्यटक परमिट यानों के समस्त प्रवर्ग; और
4. ड्राइवर और कन्डक्टर को छोड़कर बीस तक की सीट क्षमता वाले समस्त निजी सेवा यान।

यह अधिसूचना 01.04.2017 से प्रवृत्त होगी।

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/2]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.196.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की, समय-समय पर यथा संशोधित,

अधिसूचना संख्यांक एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/3एच दिनांक 01.03.2002 में इसके द्वारा, तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में, निम्नलिखित विद्यमान परन्तुक,-

''परन्तु क्र.सं. 2 और क्र.सं.3 पर उल्लिखित यानों की दशा में कर की रकम एक मोटर यान के लिए 25000/- रु. (पच्चीस हजार) से अधिक नहीं होगी'' के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''परन्तु क्रम संख्यांक 2 की मद (2) और (3) पर उल्लिखित यानों की दशा में कर की रकम एक मोटर यान के लिए 35000/- रु. (पैतीस हजार) से अधिक नहीं होगी।''

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/3एन]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.197.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर यान कराधान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 का संशोधन.- राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 के उप-नियम (1) में विद्यमान खण्ड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''(ट) ''क्रय कीमत'' से किसी विनिर्माता या व्यवहारी द्वारा किसी प्रोत्साहन स्कीम के अधीन या अन्यथा कीमत में दिये गये किसी डिस्काउण्ट, रिबेट या रियायत को अपवर्जित करते हुए, समस्त करों और उद्ग्रहणों को सम्मिलित करते हुए क्रय बिल में यथा दर्शित एक्स-शोरूम कीमत अभिप्रेत है।''

3. नियम 26-क का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 26-क के उप-नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''तीन मास'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''छः मास'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/1]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

एस.ओ.198.–राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.6(96)कर/शैक्षणिक/89 दिनांक 21.07.1993 को, इसके द्वारा तुरंत प्रभाव से विखंडित करती है।

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/3]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

Jaipur, March 08, 2017

In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Finance Department, Tax Division Notification No.F.12(14)FD/Tax/2017-79 to 100, No.F.4(3)FD/Tax/2016-101 to 124 and F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/1V, F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/22E, F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/5C, F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/2, F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/3N, F.6(179) /Pari/Tax/Hqrs/95/1, F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/3 dated March 08, 2017.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.146.-In exercise of the powers conferred by section 99 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No.4 of 2003), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Value Added Tax (Second Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. **Amendment of rule 19.-** In rule 19 of the Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006, hereinafter referred to as the said rules,-

(i) for the existing punctuation mark "." appearing at the end of sub-rule (8), the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(ii) in sub-rule (8), so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided that for the year 2015-16 the dealer may furnish the revised return in Form VAT-11 upto 15.04.2017.".

3. Amendment of rule 21.-The existing proviso to sub-rule (8) of rule 21 of the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"Provided that Deputy Commissioner (Administration) having jurisdiction, for the reasons to be recorded in writing, in any particular case, may allow the dealer for submission of such application upto a period of two years from the date of generation of such declaration form or upto 31.03.2017, whichever is later.".

4. Amendment of rule 30.- After the existing sub-rule (2) and before the existing sub-rule (3) of rule 30 of the said rules, the following new sub-rules (2A) and (2B) shall be inserted, namely:-

"(2A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) and (2) above, for the period upto the date of commencement of the Rajasthan Value Added Tax (Second Amendment) Rules, 2017**,** the memorandum of appeal in Form VAT-27 and application for condonation of delay in Form VAT-28, submitted in such form and manner which was in force prior to the Rajasthan Value Added Tax (Third Amendment) Rules, 2015, shall be

deemed to have been submitted under sub-rule (1) and/or (2) above, as the case may be.

(2B) The appellant or his authorized representative shall submit the acknowledgment generated through the official website of the department along with proof of deposit as required under sub-section (3) of section 82 of the Act and the certified copy of the order against which appeal has been filed, within seven working days of filing of appeal before the appellate authority concerned.".

5. Amendment of rule 40.-In rule 40 of the said rules,-

(i) for the existing punctuation mark "." appearing at the end of sub-rule (8B), the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(ii) in sub-rule (8B), so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided that for the year 2015-16 the awarder may furnish revised Form VAT-40E upto 31.03.2017.".

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-79]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.147.-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003) and in supersession of this department's notification number F.12(63)FD/Tax/2005-2 dated 11.04.2006, as amended from time to time, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, notifies that the tax payable by the dealer who has exercised option for payment of tax under sub-section (2) of section 3 of the Act, shall be levied, from the class of dealers as mentioned in column number 2 of the table given below, at the rate as mentioned in column number 3 of the said table against each of them, namely:-

TABLE

S.No.	Class of Dealers	Rate of Tax (%)
1	**2**	**3**
1.	Dealers as specified in clause (b) of sub-section (1) of Section 3	2
2.	Dealers as specified in clause (c) of sub-section (1) of Section 3	0.5

This shall have effect from 01.04.2017.

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-80]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.148.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003) and in supersession of this department's notification number F.12 (11) FD/Tax/2016-190 dated 08.03.2016, the State Government hereby, with immediate effect, fixes the amount of tax payable under the said Act, as mentioned in column number 3 in respect of goods mentioned in column number 2 of the List given below, namely:-

LIST

S. No.	Item	Rate of tax
1	2	3
1.	Other than filter cigarettes, cigarettes of length not exceeding 60 mm	Rs. 748 per thousand
2.	Other than filter cigarettes, cigarettes of length exceeding 60 mm but not exceeding 65 mm	Rs.920 per thousand
3.	Other than filter cigarettes, cigarettes of length exceeding 65 mm but not exceeding 70 mm	Rs.2185 per thousand
4.	Filter cigarettes of length (including the length of filter, the length of filter being 11 mm or its actual length whichever is more) not exceeding 60 mm	Rs.748 per thousand
5.	Filter cigarettes of length (including the length of filter, the length of filter being 11 mm or its actual length whichever is more) of length exceeding 60 mm but not exceeding 65 mm	Rs.978 per thousand
6.	Filter cigarettes of length (including the length of filter, the length of filter being 11 mm or its actual length whichever is more) exceeding 65 mm but not exceeding 70 mm	Rs.1668 per thousand
7.	Filter cigarettes of length (including the length of filter, the length of filter being 11 mm or its actual length whichever is more) exceeding 70 mm but not exceeding 75 mm	Rs.2300 per thousand
8.	Filter cigarettes of length (including the length of filter, the length of filter being 11 mm or its actual length whichever is more) exceeding 75 mm but not exceeding 85 mm	Rs.2875 per thousand
9.	Cigarettes of any other length not covered under serial number 1 to 8 above.	Rs.2990 per thousand

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-81]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.149.-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No.4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in Schedule I appended to the said Act, with effect from 01.04.2016, namely:-

AMENDMENT

In item (ii) of column number 2 against serial number 90 of Schedule I appended to the said Act, for the existing expression "dadiya die and mus", the expression "dadiya die, combination plier and mus" shall be substituted.

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-82]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.150.-In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No.4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in Schedule II appended to the said Act, with immediate effect, namely:-

AMENDMENT

In Schedule II appended to the said Act, after the existing serial number 76 and entries thereto, the following new serial number 77 and 78 and entries thereto, shall be added, namely:-

"

77.	Registered dealers having retail outlets of petroleum companies	
78.	Registered dealers selling Aviation Turbine Fuel at RCS Airports located within the State to airline operator which operates RCS Flights as defined in "Regional Connectivity Scheme-UDAN" issued by Ministry of Civil Aviation, Government of India	

"

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-83]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.151.-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No.4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts from payment of tax payable by any dealer,-

(i) who has opted for payment of lump sum in lieu of tax under notification number F.12(28) FD/Tax/07-181 dated 30.03.2007 (Composition Scheme for Registered tent dealers, 2007), as amended from time to time and failed to deposit the composition amount, interest or late fee within the period specified under the said notification; or

(ii) who has opted for payment of lump sum in lieu of tax under notification number F.12(25)FD/Tax/11-164 dated 15.03.2011 (Composition Scheme for Registered Tent Dealers, 2011), as amended from time to time and failed to deposit the composition amount, interest or late fee within the period specified under the said notification; or

(iii) who has failed to deposit the exemption fee under notification number F.12(59) FD/Tax/2014-84 date 30.07.2014, as amended from time to time, within the period specified under the said notification;

on the condition that such dealer shall deposit the exemption fee at the rate of rupees three thousand for every rupees two lac or part thereof of the turnover of the goods mentioned in the said notifications along with an amount equal to the amount of interest leviable on the amount which has not been deposited in the manner and within the time prescribed under the said notifications upto 31.05.2017.

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-84]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.152.-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No.4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, with immediate effect, exempts from payment of tax payable by any dealer who has opted for payment of lump sum in lieu of tax under notification number F.12(63)FD/ Tax/2005-39 dated 06.05.2006 (Composition Scheme for Saraffa Dealers, 2006), as amended from time to time, and failed to deposit the composition amount, interest or late fee within the period specified under the said notification, on the condition that such dealer has deposited exemption fee of rupees one thousand six hundred for every rupees two lac or part thereof of the turnover of the goods mentioned in said

notification along with an amount equal to the amount of interest leviable on the amount which has not been deposited in the manner and within the time prescribed under the said notification upto 31.05.2017.

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-85]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.153.-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No.4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, with immediate effect, exempts from payment of tax payable by any dealer who has opted for payment of lump sum in lieu of tax under notification number F.12(63)FD/ Tax/2005-37 dated 06.05.2006 (Composition Scheme for Gems and Stones, 2006), as amended from time to time, and failed to deposit the composition amount, interest or late fee within the period specified under the said notification, on the condition that such dealer has deposited exemption fee of rupees one thousand six hundred for every rupees two lac or part thereof of the turnover of the goods mentioned in the said notification along with an amount equal to the amount of interest leviable on the amount which has not been deposited in the manner and within the time prescribed under the said notification upto 31.05.2017.

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-86]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.154.-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No.4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, with immediate effect, exempts from payment of tax payable by any dealer who has opted for payment of lump sum in lieu of tax under notification number F.12(28)FD/ Tax/2007/145 dated 09.03.2007 (Composition Scheme for registered dealers having retail outlets of Petroleum Companies), as amended from time to time, and failed to deposit the composition amount, interest or late fee within the period specified under the said notification, on the condition that such dealer has deposited exemption fee of rupees three thousand for every rupees two lac or part thereof of the turnover of the

goods mentioned in said notification along with an amount equal to the amount of interest leviable on the amount which has not been deposited in the manner and within the time prescribed under the said notification upto 31.05.2017.

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-87]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.155.-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts, with immediate effect, from the tax payable on the sale of Aviation Turbine Fuel at RCS Airports located within the State, by a registered dealer to the airline operator which operates RCS Flights on RCS Routes to the extent rate of tax exceeds 1%, on the condition that the purchasing airline operator shall generate a declaration in Form VAT-72 electronically through the official website of the Commercial Taxes Department in the manner as provided therein and furnish a duly signed copy of Form VAT-72 so generated to the selling dealer.

Note: For the purpose of this notification, expression RCS Airport, RCS Flight and RCS Route shall have the same meaning as assigned to them in the "Regional Connectivity Scheme-UDAN" issued by the Ministry of Civil Aviation, Government of India on 21.10.2016 in pursuance of the National Civil Aviation Policy, 2016.

This notification shall remain in force upto 20.10.2026.

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-88]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.156.-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, makes the following amendment in this department's notification number F.12(161)FD/ Tax/09-1 dated 02.06.2014, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, for the existing expression, "and in supersession of this Department's Notification No. F.12(18)FD/Tax/07-45 dated 18.08.2008, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts from tax the sale to or purchase by Indian Railways of High Speed Diesel to the extent to which the rate of tax in respect thereof exceeds 18% on the following conditions; namely:-", the expression, "the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, supersedes this department's notification number F.12 (18) FD/Tax/07-45 dated 18.08.2008, with effect from 18.08.2008 and exempts from tax the sale to or purchase by Indian Railways of High Speed Diesel to the extent to which the rate of tax in respect thereof exceeds,-

(i) 14% for the period 02.06.2014 to 28.08.2015; and

(ii) 18% with effect from 29.08.2015

on the following conditions, namely:-" shall be substituted.

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-89]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.157.-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts the sale to or purchase by Indian Railways, during the period from 18.08.2008 to 01.06.2014, of High Speed Diesel from the tax to the extent to which the rate of tax in respect thereof exceeds 10% on the following conditions, namely:-

1. That in case such purchases are made by the North-Western Zone, Jaipur, of Indian Railways, the benefit of this notification shall be available subject to the condition that the aforesaid Zone shall fully source their High Speed Diesel (HSD) requirement for its operations in Rajasthan from the State of Rajasthan only, which shall not in any case be less than 90% of the total purchase of HSD made by North-Western Zone, Jaipur, of Indian Railways in a financial year;
2. That the North-Western Zone, Jaipur of Indian Railways shall be required to submit quarterly information of its purchases of HSD within the State, to the Assistant Commissioner / Commercial Taxes Officer, Special Circle, Rajasthan, Jaipur; and
3. That the officer authorized by Indian Railways to effect such purchases on its behalf shall be required to furnish to the selling registered dealer a certificate in form appended hereto.

FORM

I …… (Name) …… (Designation) of Indian Railways do hereby certify that the High Speed Diesel purchased from M/s ……..…….. holder of R.C. No……. on behalf of the Indian Railways are for own use only and not for the purpose of resale or use in the manufacture of goods.

Seal of the duly Authorized Officer.

Place:…… Signature……
Dated:…….. Designation of the Authorized Officer

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-90]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.158.-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No.4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, with effect from 01.04.2015, makes the following amendments in this department's notification number F.12(23)FD/Tax/2015-206 dated 09.03.2015, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification,-

(i) the existing sub-clause 3.1 of clause 3 shall be substituted by the following, namely:-

"3.1.1 Where the dealer fails to submit the application within the time prescribed under sub-clause 2.1.1 of clause 2, he may be allowed to submit the same on payment of late fee mentioned below alongwith an application in Form WT-3 appended to this notification to condone the delay, mentioning therein the details of payment of late fee.

Period of delay	Amount of late fee
Upto one year from the date of award of works contract.	Rupees one thousand
More than one year but upto two years from the date of award of works contract.	Rupees five thousand

3.1.2 Where the dealer fails to submit the application within the time prescribed under sub-clause 2.5 of clause 2, he may be allowed to submit the same on payment of late fee mentioned below

alongwith an application in Form WT-3 appended to this notification to condone the delay, mentioning therein the details of payment of late fee.

Period of delay	Amount of late fee
Upto one year from the date of communication of additional work or enhancement of value of the contract.	Rupees one thousand
More than one year but upto two years from the date of communication of additional work or enhancement of value of the contract.	Rupees five thousand

";and

(ii) In Form WT-3, appended to said notification, for the existing expression "Date of award of works contract", the expression "Date of award of works contract or Date of communication of additional work or enhancement of value of works contract, as the case may be" shall be substituted.

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-91]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.159.-In exercise of the powers conferred by section 51A of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby notifies the following Amnesty Scheme-2017, hereinafter referred to as the scheme, for waiver of interest, penalty and late fee, namely:-

1. Short title and operative period.- (1) This scheme may be called the Amnesty Scheme-2017.

(2) This scheme shall come into force with effect from 08.03.2017 and shall remain in force upto 30.04.2017.

2. Definitions.- (1) In this scheme, unless the subject or context otherwise requires,-

(i) "Applicant" means a dealer or person, opting for the scheme by submitting an application to the assessing authority or the authority concerned;

(ii) "Department" means the Commercial Taxes Department, Rajasthan; and

(iii) "Tax" shall include the amount of composition fee for payment of lump sum in lieu of tax and the exemption fee.

(2) The words and expressions used in this scheme but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act under which the demand has been created.

3. Applicability of the scheme.- The scheme shall be applicable to the dealer or person against whom total outstanding demand as on 08.03.2017 is less than rupees thirty crore and which has been created upto 31.12.2016, under the following Acts:-

(i) The Rajasthan Sales Tax Act, 1954;

(ii) The Rajasthan Sales Tax Act, 1994;

(iii) The Rajasthan Value Added Tax Act, 2003; or

(iv) The Central Sales Tax Act, 1956.

4. Benefits under the scheme.- The demand of interest, penalty and late fee shall be waived to the extent as mentioned in column number 4 of the table given below on fulfillment of conditions as mentioned in column number 3, for the category of demand as mentioned in column number 2 of the said table:

Table

S. No.	Category of Demand created upto 31.12.2016	Conditions	Extent of Waiver of Interest, Penalty and Late Fee
1	2	3	4
1.	Demand pertaining the years upto 2005-06	(i) The applicant has deposited the whole amount of tax (as per Demand and Collection Register) upto 30.04.2017; and (ii) The applicant has submitted an application for withdrawal of case, if any pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, upto 30.04.2017.	Full amount of interest, penalty and late fee along with interest accrued upto the date of order under the scheme.
2.	Demand pertaining to year from 2006-07 to 2010-11 and does not relate to: (i) evasion or avoidance of Tax; or (ii) misuse of declaration form(s)/ Certificate(s); or (iii) unaccounted goods; or (iv) Goods/ vehicle in transit.	(i) The applicant has deposited the whole amount of tax along with ten percent of the outstanding interest amount (as per Demand and Collection Register) upto 30.04.2017; and (ii) The applicant has submitted an application for withdrawal of case, if any pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the	Remaining amount of interest, penalty and late fee along with interest accrued upto the date of order under the scheme.

		case may be, upto 30.04.2017.	
3.	Demand pertaining to year from 2006-07 to 2010-11 and relates to: (i) evasion or avoidance of Tax; or (ii) misuse of declaration form(s)/ Certificate(s); or (iii) unaccounted goods; or (iv) Goods/ vehicle in transit.	(i) The applicant has deposited the whole amount of tax, along with ten percent outstanding interest amount and twenty percent of the outstanding penalty amount (as per Demand and Collection Register) upto 30.04.2017; and (ii) The applicant has submitted an application for withdrawal of case, if any pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, upto 30.04.2017.	Remaining amount of interest, penalty and late fee along with interest accrued upto the date of order under the scheme.
4.	Demand pertaining to year 2011-12 and years thereafter and does not relate to: (i) evasion or avoidance of Tax; or (ii) misuse of declaration form(s)/ Certificate(s); or (iii) unaccounted goods; or (iv) Goods/ vehicle in transit.	(i) The applicant has deposited the whole amount of tax, along with twenty percent of the outstanding interest amount (as per Demand and Collection Register) upto 30.04.2017; and (ii) The applicant has submitted an application for withdrawal of case, if any pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, upto 30.04.2017.	Remaining amount of interest, penalty and late fee along with interest accrued upto the date of order under the scheme.
5.	Demand pertaining to year 2011-12 and years thereafter and relates to: (i) evasion or avoidance of Tax; or (ii) misuse of declaration form(s)/ Certificate(s); or (iii) unaccounted goods; or (iv) Goods/ vehicle in transit.	(i) The applicant has deposited the whole amount of tax, along with twenty percent of the outstanding interest amount along with twenty five percent of the outstanding penalty amount (as per Demand and Collection Register) upto 30.04.2017; and (ii) The applicant has submitted an application for withdrawal of case, if any pending before any Court or Tax Board or	Remaining amount of interest, penalty and late fee along with interest accrued upto the date of order under the scheme.

		Appellate Authority, as the case may be, upto 30.04.2017.	

Explanation: (1) Where any amount has been deposited prior to issuance of this scheme against the demand after its creation and an application under this scheme is being submitted for the balance outstanding demand, the amount already deposited, if not specifically mentioned in the challan, shall be adjusted firstly against the liability of tax, then it shall be adjusted against the liability of interest, penalty and late fee, respectively. However, if any amount has been deposited in compliance of any court order, it shall be adjusted accordingly.

(2) Where the demand comprises entirely of interest and/or penalty and/or late fee, in such cases, the amount of tax shall be deemed to have been deposited.

(3) Where any application for rectification related to the demand, for which the dealer or person intends to opt under this scheme is pending before the assessing authority or authority concerned, then on intimation in writing from such dealer, he shall dispose it within seven days of such intimation or upto 30th April, 2017, whichever is earlier.

(4) For category of demand at serial number 1, where the dealer or person is not required to deposit any amount of tax, in such cases, he is not required to submit AS-I.

5. Procedure for availing benefit.- (1) To avail the benefit under this scheme, the applicant shall generate the application in Form AS-I appended to this scheme upto 30.04 2017 from the official website of the department, and such generated Form AS-I shall be submitted to the assessing authority or authority concerned along with the proof of deposit of tax and other sum, if any, and copy of self authenticated application filed for withdrawal of pending case from the Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, if applicable, upto 07.05.2017.

(2) Subject to clause 3, if the outstanding demand involves multiple entries, the applicant may apply to any number of entries as he wants.

(3) Separate entries in Form AS-I shall be made for each outstanding demand, and conditions as mentioned in column number 3 of the above mentioned table, shall separately apply for each entry.

(4) Applicant shall deposit the amount, if required to be deposited under this scheme, separately for each entry and separate challan shall be mentioned in Form AS-I.

(5) Where any demand is outstanding against the dealer and the case has been filed by the department, in such cases, the applicant may opt for this scheme after depositing the amount as mentioned in column number 3 of the table mentioned in clause 4, in such circumstances the applicant is not required to submit any proof of withdrawal of such case and the case shall be withdrawn by the department.

(6) Where the case of prosecution has been filed by the department under clause (d) of sub-section (1) of section 67 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 or similar provisions of the repealed Act and the applicant has deposited the amount as required under this scheme, on being satisfied, the Assessing Authority shall proceed to withdraw the case from the court.

(7) The assessing authority or authority concerned shall on receipt of the application, verify the facts mentioned in the application and on being satisfied shall complete the

Form AS-II appended to this scheme. However where any dealer or person, is not required to submit AS-I, Assessing Authority/ Authority concerned shall suo-moto complete the Form AS-II appended to this scheme.

(8) The Assessing Authority shall also reduce the outstanding demand of interest and/or penalty and / or late fee, as the case may be, from Demand and Collection Register.

(9) The assessing authority shall forward the copy of Form AS-II to the Deputy Commissioner (Administration) concerned and he shall also forward the copy of Form AS-II to the Commissioner, in the cases where total amount of waiver is above rupees ten lac.

(10) The assessing authority shall also forward the copy of Form AS-II to the Applicant.

6. Condition.- No refund shall be allowed due to waiver under this scheme.

FORM AS-I
(See clause 5)
[To be filled by the dealer/ person]
PART-A

1. Name and address of the Applicant:
2. Name of Circle / Ward :
3. Registration No. / TIN (if any):
4. E-mail address, if any:
5. Details of demand(Separate entry shall be made for each outstanding demand):

S. No.	Year	Date of order	Amount of Demand					Name of the Act under which demand has been created, as per clause 3
			Tax	Interest	Penalty	Late Fee	Total	
1.								
2.								

6. Mention the serial number of table of clause 4 regarding the category of demand (Separate entry shall be made for each outstanding demand):

S.No.	Year	Date of Order	Category of demand [Tick appropriate box]									
1.			1		2		3		4		5	
2.			1		2		3		4		5	

7. Details of the amount deposited (Separate entry shall be made for each outstanding demand):

S.No.	Year	Amount Deposited (Rs.)	Date of Deposit	GRN/ CIN

PART-B
To be filled in case outstanding demand is under dispute.

8. Date of filing of case :
9. Name of the Court / Forum before which case is pending:

10. Nature of case : Appeal / Revision / Writ Petition / Special Appeal/Prosecution under section 67(1)(d) of RVAT Act, 2003 / Others
11. Present status of the case and issues involved therein:
12. Status of the applicant: Appellant / Respondent:
13. Date of application filed for withdrawal of pending case (if the case has been filed by the applicant:

Signature of the Applicant

Date: Name:
Place: Status:

Verification

I do hereby verify that the information submitted above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed.

Signature of the Applicant

Date: Name:
Place: Status:

FORM AS-II
(See clause 5)
[To be filled by Assessing Authority/ Authority Concerned]

(i) Name of Circle / Ward:
(ii) Name and address of the applicant:
(iii) Registration Number/TIN, if any:
(iv) Authority whose order is under litigation :
(v) In case of litigation, date of submission of application for withdrawal of case:
(vi) In case of prosecution filed by the department against the applicant: number and date of sanction of prosecution:
(vii) Details of demand outstanding as on the date of submission of the application

S. No.	Year	Date of order	Amount of Demand					Name of the Act under which demand has been created
			Tax	Interest	Penalty	Late Fee	Total	
1.								
2.								

(viii) Amount of accrued Interest on outstanding demand upto the date of submission of application: Rs……
(ix) Verification of the amount deposited:

S. No.	Year	Date of order	Amount deposited					Date of deposit	Name of the Act
			Tax	Interest	Penalty	Late Fee	Total		
1.									
2.									

Verification

I have examined the application submitted by the applicant and do verify that the applicant has complied with the conditions of the notification number F.12(14)FD/Tax/2017-92 Dated 08.03.2017, therefore, the balance outstanding demand of interest, penalty and late fee as mentioned in the following table, has been reduced from demand and collection register:-

Table

S. No.	Year	Date of order	Amount outstanding as per DCR				
			Tax	Interest	Penalty	Late Fee	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							

Amount Deposited					Amount waived		
Tax	Interest	Penalty	Late Fee	Total	Balance amount of demand	Accrued Interest up to the date of order under the Scheme	Total
9	10	11	12	13	14	15	16

Signature of the Assessing Authority /
Authority concerned

Date:
Place:

Name:
Designation

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-92]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.160.-In exercise of the powers conferred by section 51B of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003) read with sub-section (2) of section 9 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby allows rebate to the class of dealers as mentioned in column number 2 of table given below,

having his place of business in the State in respect of sale of goods as mentioned in column number 3 made by him, from any such place of business in the course of inter-state trade or commerce to the extent as mentioned in column number 4 for the period as mentioned in column number 5, on such conditions as mentioned in column number 6 of the said table:-

Table

S. No.	Class of dealers	Category of goods	Extent of rebate	Period of rebate	Conditions
1	2	3	4	5	6
1.	A dealer having industrial unit for which an Eligibility Certificate for Exemption has been issued by the Competent Authority under notification number F.4(35)FD Gr.IV/87 dated 23.05.1987 and he has breached the condition 4(e)(i) of the said notification.	Goods manufactured in the industrial unit availing benefit of the said notification including packing material thereof.	Full amount of tax levied or leviable due to breach of condition 4(e)(i) of the said notification.	Period during which the benefit of exemption has been availed by the unit.	(i) such beneficiary unit is either closed upto 31.03.2007 or declared sick under the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985(Central Act No. 1 of 1986) upto 31.03.2007 and the land of the beneficiary unit has not been sold for the purpose other than industrial purpose; (ii) the tax charged or collected for the period for which the unit has availed the benefit of incentive under the said notification, if any, shall be deposited by the dealer; and (iii) tax, penalty and interest, deposited, if any, in the Government Exchequer against demand created in any assessment or rectification order due to breach of condition 4(e)(i) of the said notification for the period for which benefit of exemption has been availed under the

					said notification, shall not be refunded.

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-93]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.161.-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and (4) of section 13 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Central Sales Tax (Rajasthan) Rules, 1957, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Central Sales Tax (Rajasthan) (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 17.-The existing proviso to sub-rule (14) of rule 17 of the Central Sales Tax (Rajasthan) Rules, 1957 shall be substituted by the following, namely:-

"Provided that Deputy Commissioner (Administration) having jurisdiction, for the reasons to be recorded in writing, in any particular case, may allow the dealer for submission of such application upto a period of two years from the date of generation of such declaration form or upto 31.03.2017, whichever is later."

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-94]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.162.-In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No.74 of 1956), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in this department's notification number F.12 (99) FD / Tax / 07-66 dated 14.02.2008, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

At the end of the said notification the following Explanation shall be added, namely:-

"Explanation: For ascertaining the status of Micro and Small Enterprise, under this notification, the investment made in Plant and Machinery in different enterprises set up under the same ownership shall not be clubbed."

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-95]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.163.-In exercise of the powers conferred by section 45 of the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 (Act No. 13 of 1999), hereinafter referred to as the said Act, read with section 51A of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby notifies the following New Voluntary Amnesty Scheme for Entry Tax-2017, hereinafter referred to as the Scheme, for waiver of interest, penalty and late fee, namely:-

1. Short Title and Operative Period.- (1) This Scheme may be called the New Voluntary Amnesty Scheme for Entry Tax-2017.

(2) This scheme shall come into force with effect from 08.03.2017 and shall remain in force upto 30th April, 2017**.**

2. Definitions.- (1) In this scheme, unless the subject or context otherwise requires,-

(i) "Applicant" means a dealer or person, opting for the scheme by submitting an application to the assessing authority or authority concerned;

(ii) "Department" means the Commercial Taxes Department, Rajasthan; and

(iii) "Tax" shall include the amount of exemption fee also.

(2) The words and expressions used in this scheme but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the said Act and rules made thereunder.

3. Applicability of the scheme.- The scheme shall be applicable to the dealer or the person against whom total outstanding demand as on 08.03.2017 is less than rupees Ten Crore and which has been created on or before 31st December, 2016.

4. Benefits under the scheme.- The demand of interest, penalty and late fee shall be waived to the extent as mentioned in column number 4 of the table given below on fulfillment of such conditions as mentioned in column number 3 for the category of dealer or person as mentioned in column number 2 of the said table:-

Table

S. No.	Category of Dealer or Person	Conditions	Extent of Waiver of Interest, Penalty and Late Fee
1	**2**	**3**	**4**
1.	Dealer or person against whom penalty under section 12 or section 15 or section 31 of the said Act has been imposed on or before 31.03.2013.	(i) The applicant has deposited the whole amount of tax along with twenty percent of the outstanding interest amount (as per Demand and Collection Register) upto 30.04.2017; and (ii) The applicant has submitted an application for withdrawal of case, if any pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, upto 30.04.2017.	Remaining amount of interest, full amount of penalty and late fee along with interest accrued upto the date of order under the scheme.
2.	Dealer or person against whom penalty under section 12 or section 15 or section 31 of the said Act has been imposed after 31.03.2013 but on or before 31.12.2016.	(i) The applicant has deposited the whole amount of tax along with twenty five percent of the outstanding interest amount, (as per Demand and Collection Register) upto 30.04.2017; and (ii) The applicant has submitted an application for withdrawal of case, if any pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, upto 30.04.2017.	Remaining amount of interest, full amount of penalty and late fee along with interest accrued upto the date of order under the scheme.
3.	Dealer or person against whom demand has been created on or before 31.03.2013 and not covered under serial number 1 above.	(i) The applicant has deposited the whole amount of tax along with ten percent of the outstanding interest amount, (as per Demand and Collection Register) upto 30.04.2017; and (ii) The applicant has submitted an application for withdrawal of case, if any pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, upto 30.04.2017.	Remaining amount of interest, full amount of penalty and late fee along with interest accrued upto the date of order under the scheme.

4.	Dealer or person against whom demand has been created after 31.03.2013 but on or before 31.12.2016 and not covered under serial number 2 above.	(i) The applicant has deposited the whole amount of tax along with twenty percent of the outstanding interest amount, (as per Demand and Collection Register) upto 30.04.2017; and (ii) The applicant has submitted an application for withdrawal of case, if any pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, upto 30.04.2017.	Remaining amount of interest, full amount of penalty and late fee along with interest accrued upto the date of order under the scheme.

Explanation:(1) Where any amount has been deposited prior to issuance of this scheme against the demand after its creation and an application under the scheme is being submitted for the balance outstanding demand, the amount already deposited, if not specifically mentioned in the challan, shall be adjusted firstly against the liability of tax, then it shall be adjusted against the liability of interest, penalty and late fee, respectively. However, if any amount has been deposited in compliance of any court order, it shall be adjusted accordingly.

(2) Where the demand comprises entirely of interest and/or penalty and/or late fee, in such cases, the amount of tax shall be deemed to have been deposited.

(3) Where any application for rectification related to the demand, for which the dealer or person intends to opt under this scheme is pending before the assessing authority or authority concerned, then on intimation in writing from such dealer, he shall dispose it within seven days of such intimation or upto 30th April, 2017, whichever is earlier.

5. Procedure for availing benefit.- (1) To avail the benefit under this scheme, the applicant shall generate the application in Form ET AS-I appended to this scheme upto 30.04 2017 from the official website of the Department, and such generated Form ET AS-I shall be submitted to the assessing authority or authority concerned along with the proof of deposit of tax and other sum, if any, and copy of self authenticated application filed for withdrawal of pending case from the Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, if applicable, upto 07.05.2017.

(2) Subject to clause 3, if the outstanding demand involves multiple entries, the applicant may apply for any number of entries as he wants.

(3) Separate entries in Form ET AS-I shall be made for each outstanding demand and conditions as mentioned in column number 3 of above mentioned table shall separately apply for each entry.

(4) Applicant shall deposit the amount, if required to be deposited under this scheme, separately for each entry and separate challan shall be mentioned in Form ET AS-I.

(5) Where any demand is outstanding against the dealer and the case has been filed by the department, in such cases, the applicant may opt for this scheme after depositing the amount as mentioned in column number 3 of the table mentioned in clause 4, in such circumstances the applicant is not required to submit any proof of withdrawal of such case and the case shall be withdrawn by the department.

(6) The assessing authority shall on receipt of the application, verify the facts mentioned in the application and on being satisfied, he shall complete the Form ET AS-II appended to this Scheme.

(7) The assessing authority shall also reduce the outstanding demand of penalty and / or late fee and/or interest, as the case may be, from Demand and Collection Register.

(8) The assessing authority shall forward the copy of Form ET AS-II to the Deputy Commissioner (Administration) concerned and he shall also forward the copy of Form ET AS-II to the Commissioner, in the cases where total amount of waiver is above rupees ten lac.

(9) The assessing authority shall also forward the copy of Form ET AS-II to the Applicant.

6. Condition.- No refund shall be allowed due to waiver under this scheme.

FORM ET AS-I
(See clause 5)
[To be filled by the dealer/ person]
PART-A

1. Name and address of the Applicant:
2. Name of Circle / Ward :
3. Registration No. , if any:
4. E-mail id, if any:
5. Details of demand (Separate entry shall be made for each outstanding demand)

S. No.	Year	Date of order	Amount of Demand				
			Tax	Interest	Penalty	Late Fee	Total
1.							
2.							

6. Mention the serial number of table of clause 4 regarding the category of dealer or person: (Separate entry shall be made for each outstanding demand)

S.No.	Year	Date of Order	Category of dealer or person [Tick appropriate box]							
			1		2		3		4	
			1		2		3		4	

7. Details of deposit of the amount (Separate entry shall be made for each outstanding demand)

S.No.	Year	Amount Deposited (Rs.)	Date of Deposit	GRN/ CIN

PART-B
To be filled in case of outstanding demand is under dispute.

8. Date of filing of case :
9. Name of the Court / Forum before which case is pending:
10. Nature of case : Appeal / Revision / Writ Petition / Special Appeal/Prosecution under section 35 of the said Act /Others
11. Present status of the case and the issues involved:
12. Status of the applicant: Appellant / Respondent:
13. Date of application filed for withdrawal of pending case (if the case is filed by the applicant):

Signature of the Applicant

Date: Name:
Place: Status

Verification

I do hereby verify that the information submitted above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed.

Signature of the Applicant

Date: Name:
Place: Status

FORM ET AS-II
(See clause 5)
[To be filled by Assessing Authority/ Authority concerned]

(i) Name of Circle / Ward:
(ii) Name and Address of the dealer or person:
(iii) Registration Number, if any:
(iv) Authority whose order is under litigation :
(v) In case of litigation, date of submission of application for withdrawal of case:
(vi) In case of prosecution filed by the Department against the applicant, Number and date of sanction of prosecution:
(vii) Details of demand outstanding as per demand and collection register on the date of submission of the application

S. No.	Year	Date of order	Amount of Demand				
			Tax	Interest	Penalty	Late Fee	Total
1.							
2.							

(viii) Amount of accrued Interest on outstanding demand upto the date of submission of application: Rs……

(ix) Verification of the amount deposited:

S. No.	Year	Date of order	Amount deposited				Date of deposit
			Tax	Interest	Penalty	Late Fee	
1.							
2.							

Verification

I have examined the application submitted by the applicant and do verify that the applicant has complied with the conditions of the notification number F.12(14)FD/Tax/2017-96 Dated 08.03.2017, therefore, the balance outstanding demand of interest, penalty and late fee as mentioned in the following table, has been reduced from demand and collection register:-

Table

S. No.	Year	Date of order	Amount outstanding as per DCR				
			Tax	Interest	Penalty	Late Fee	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							

Amount Deposited					Amount waived		
Tax	**Interest**	**Penalty**	**Late Fee**	**Total**	**Balance amount of demand**	**Accrued Interest up to the date of order under the Scheme**	**Total**
9	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**

Signature of the Assessing Authority
Date: Name:
Place: Designation

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-96]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.164.-In exercise of the powers conferred by section 9 of the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 (Act No.13 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, with effect from 08.03.2016, exempts from tax payable under the Act on entry of all kinds of yarn into any local area of the State on the following conditions:-

(i) that the dealer or person receiving such yarn has made an agreement for job work on such yarn with any dealer or person having its office outside the State;

(ii) that such yarn is brought into the local area from outside the State exclusively for job work in pursuance of the said agreement; and

(iii) that the dealer or person receiving such yarn shall furnish the details of the yarn so received and finished goods manufactured from such yarn sent back to the dealer or person from whom he has received the yarn, in the manner as prescribed by the Commissioner, Commercial Taxes, Rajasthan.

Any amount of tax, penalty and interest, if any, already deposited shall not be refunded.

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-97]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.165.-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957 (Act No.24 of 1957), the State Government being of the opinion that reasonable grounds exist for doing so in the public interest, hereby, with effect from 01.08.2014, remits 100% entertainment tax leviable under section 4 of the said Act, on the amount charged for rendering the service of online booking of tickets for admission to an entertainment by the service provider, on the condition that the amount of entertainment tax charged or collected on the said amount shall be deposited with the State Government and if already deposited, shall not be refunded.

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-98]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.166.-In exercise of the powers conferred by section 7 of the Rajasthan Tax on Entry of Motor Vehicles into Local Areas Act, 1988 (Act No. 14 of 1988), hereinafter referred to as the said Act, read with section 51A of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby notifies the following Amnesty Scheme for Entry Tax on Motor Vehicles-2017, hereinafter referred to as the scheme, for waiver of interest, penalty and late fee, namely:-

1. Short Title and Operative Period.- (1) This scheme may be called the Amnesty Scheme for Entry Tax on Motor Vehicles -2017.

(2) This Scheme shall come into force with effect from 08.03.2017 and shall remain in force upto 30th April, 2017**.**

2. Definitions.- (1) In this scheme, unless the subject or context otherwise requires,-

(i) "Applicant" means an importer, opting for the scheme by submitting an application to the assessing authority or the authority concerned; and

(ii) "Department" means the Commercial Taxes Department, Rajasthan.

(2) The words and expressions used but not defined in this scheme shall have the same meaning as assigned to them in the said Act and rules made thereunder.

3. Applicability of the Scheme.- The scheme shall be applicable to the importer against whom any demand is outstanding under the Act as on 08.03.2017 and the same has been created upto 31st December, 2016.

4. Benefits under the Scheme.- The amount of interest, penalty and late fee shall be waived to the extent as mentioned in column number 4 on fulfillment of such conditions as mentioned in column number 3 for the category of importer as mentioned in column number 2 of the table given below:-

Table

S. No.	Category of Importer	Conditions	Extent of Waiver of Interest, Penalty and Late Fee
1	2	3	4
1.	Importer against whom demand has been created on or before 31.12.2016.	(i) The applicant has deposited the whole amount of tax along with ten percent of the balance outstanding demand (as per Demand and Collection Register) upto 30.04.2017; and (ii) The applicant has submitted an application for withdrawal of case, if any pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, upto 30.04.2017.	Remaining amount of demand related to interest, penalty and late fee along with interest accrued upto the date of order under the scheme.

Explanation: (1) Where any amount has been deposited prior to issuance of the scheme against the demand after its creation and an application under the scheme is being submitted for the balance outstanding demand, the amount already deposited, if not specifically mentioned in the challan, shall be adjusted firstly against the liability of tax, the balance, if any, shall be adjusted against the other sum. However, if any amount has been deposited in compliance of any court order, then it shall be adjusted accordingly.

(2) Where the demand comprises entirely of interest and/or penalty and/or late fee, in such cases, the amount of tax shall be deemed to have been deposited.

(3) Where any application for rectification related to the demand, for which the importer intends to opt under the scheme is pending before the assessing authority or authority concerned, then on intimation in writing from such importer, he shall dispose of it within seven days of such intimation or upto 30th April, 2017, whichever is earlier.

5. Procedure for availing benefit.- (1) To avail the benefit under the scheme, the applicant shall generate the application in Form MV AS-I appended to the scheme upto 30.04 2017 from the official website of the department, and such generated Form MV AS-I shall be submitted to the assessing authority or authority concerned along with the proof of deposit of tax and other sum, if any, and copy of self authenticated application filed for withdrawal of pending case from the Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, if applicable, upto 07.05.2017.

(2) Subject to clause 3, if the outstanding demand involves multiple entries, the applicant may apply for any number of entries as he wants.

(3) Separate entries in Form MV AS-I shall be made for each entry of outstanding demand and conditions as mentioned in column number 3 of the above mentioned table, shall separately apply for each entry.

(4) Applicant shall deposit the amount, if required to be deposited under this scheme, separately for each entry and separate challan shall be mentioned in Form MV AS-I.

(5) Where any demand is outstanding against the importer and the case has been filed by the department, in such cases, the applicant may opt for the scheme after depositing the amount as mentioned in column number 3 of the table mentioned in clause 4, in such circumstances the applicant is not required to submit any proof of withdrawal of such case and the case shall be withdrawn by the department.

(6) The assessing authority shall on receipt of the application, verify the facts mentioned in the application and on being satisfied, he shall complete the Form MV AS-II appended to this scheme and shall reduce the outstanding demand of interest and/or penalty and / or late fee, as the case may be, from Demand and Collection Register.

(7) The assessing authority shall forward the copy of Form MV AS-II to the Deputy Commissioner (Administration) concerned and he shall also forward the copy of Form MV AS-II to the Commissioner, in the cases where total amount of waiver is above rupees ten lac.

(8) The assessing authority shall also forward the copy of Form MV AS-II to the Applicant.

6. Condition.- No refund shall be allowed due to waiver under this scheme**.**

FORM MV AS-I
(See clause 5)
[To be filled by the importer]
PART-A

1. Name and address of the Applicant:
2. Name of Circle / Ward :
3. Registration No. , if any:
4. E-mail id, if any:
5. Details of demand: (Separate entry shall be made for each outstanding demand)

S. No.	Year	Date of order	Amount of demand		
			Tax	Other	Total
1.					
2.					

6. Details of deposit of the amount (Separate entry shall be made for each outstanding demand)

S.No.	Year	Amount Deposited (Rs.)	Date of Deposit	GRN/ CIN

PART-B
To be filled in case of outstanding demand is under dispute.

7. Date of filing of case :
8. Name of the Court / Forum before which case is pending:

9. Nature of case : Appeal / Revision / Writ Petition / Special Appeal/Prosecution /Others
10. Present status of the case and issues involved therein:
11. Status of the applicant: Appellant / Respondent:
12. Date of application filed for withdrawal of pending case (if the case is filed by the applicant):

Signature of the Applicant
Date: Name:
Place: Status

Verification

I do hereby verify that the information submitted above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed.

Signature of the Applicant
Date: Name:
Place: Status

FORM MV AS-II
(See clause 5)
[To be filled by Assessing Authority]

(i) Name of Circle / Ward:
(ii) Name and Address of importer:
(iii) Registration Number, if any:
(iv) Authority whose order is under litigation :
(v) In case of litigation, date of submission of application for withdrawal of case:
(vi) In case of prosecution filed by the department against the applicant, Number and date of sanction of prosecution:
(vii) Details of demand outstanding as per demand and collection register on the date of submission of the application

S. No.	Year	Date of order	Amount of Demand		
			Tax	Other	Total
1.					
2.					

(viii) Amount of accrued Interest on outstanding demand upto the date of submission of application: Rs……

(ix) Verification of the amount deposited:

S. No.	Year	Date of order	Amount deposited		Date of deposit
			Tax	Other	
1.					
2.					

Verification

I have examined the application submitted by the applicant and do verify that the applicant has complied with the conditions of the notification number F.12(14)FD/Tax/2017-99 dated 08.03.2017, therefore, the balance outstanding demand of interest, penalty and late fee as mentioned in the following table, has been reduced from demand and collection register:-

Table

S. No	Year	Date of order	Amount outstanding as per DCR		Amount Deposited		Amount waived		
			Tax	Other	Tax	Other	Balance amount of demand	Accrued Interest up to the date of order under the Scheme	Total
1.									
2.									

Signature of the Assessing Authority
Date: Name:
Place: Designation

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-99]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.167.-In exercise of the powers conferred by clause (3) of the proviso to section 3, section 3B and section 3C of the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962 (Act No. 12 of 1962), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts, with immediate effect, the electricity duty, the water conservation cess and the urban cess payable by the Jaipur Metro Rail Corporation on the energy consumed in following operation and maintenance of Metro Rail, namely:-

1.	Metro Rail Operations
2.	Electric Sub-Station(s)
3.	Maintenance Depot(s)
4.	Metro Stations which includes :- (a) Station lighting, Air Conditioning, Air Cooling and Circulation equipment; (b) Station Control Room, Booking Office, Fare Collection Machines; (c) Security equipment and rooms, public utility rooms, water supply equipment; (d) Electrical, Signal and Telecom maintenance rooms; (e) Lifts, Escalators, Fire Fighting equipments; (f) Lighting in parking and circulating area; and (g) Other activity centres exclusively used and approved for Operation and Maintenance of Metro System, where electricity cost is borne by Jaipur Metro Rail Corporation

But this exemption shall not be applicable on the energy consumed in other activities including the following:-

1.	Construction and other works for expansion of metro network
2.	Residential buildings owned/ leased by Jaipur Metro Rail Corporation
3.	Outsourced commercial activities, where electricity cost is charged by Jaipur Metro Rail Corporation, i.e., (a) Advertisements; (b) Retail Shops; (c) ATMs, mobile towers, wi-fi facility; and (d) Any other commercial activities.
4.	Corporate and other offices, which are not part of direct Operation and Maintenance

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-100]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.168.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument of partition of property other than ancestral property shall be reduced and charged at the rate of 3 percent on the market value of the separated share or shares of the property.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-101]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.169.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instruments specified in clause (c) of Article 5 and sub-clause

(ii) of clause (ee) of Article 44 of the Schedule to the said Act, shall be reduced and charged at the rate of 0.5 percent.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-102]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.170.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(6)FD/Tax/2016-225 dated 08.03.2016, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable in excess of rupees five lakh on the instruments specified in clause (d) of Article 5 and Article 6 of the Schedule to the said Act shall be remitted.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-103]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.171.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(6)FD/Tax/2016-214 dated 08.03.2016, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instruments specified in sub-clause (ii) of clause (b) of Article 30 and clause (b) of Article 37 of the Schedule to the said Act shall be reduced and charged at the rate of 0.15 percent subject to maximum of rupees five lakh.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-104]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.172.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby makes the following amendment in this department's notification number F.4(6)FD/Tax/2016-227 dated 08.03.2016, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, for the existing expression "31.03.2017", the expression "31.03.2018" shall be substituted.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-105]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.173.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby makes the following amendment in this department's notification number F.4(6)FD/Tax/2016-228 dated 08.03.2016, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, for the existing expression "31.03.2017", the expression "31.03.2018" shall be substituted.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-106]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.174.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby makes the following amendment in this department's notification number F.4(6)FD/Tax/2016-229 dated 08.03.2016, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, for the existing expression "31.03.2017", the expression "31.03.2018" shall be substituted.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-107]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.175.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby makes the following amendment in this department's notification number F.4(6)FD/Tax/2016-230 dated 08.03.2016, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, for the existing expression "31.03.2017", the expression "31.03.2018" shall be substituted.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-108]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.176.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(6)FD/Tax/2016-226 dated 08.03.2016, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument executed on or after 31.03.2009 relating to conversion of partnership firm, private limited company or unlisted public limited company into limited liability partnership under the Limited Liability Partnership Act, 2008 (Central Act No. 6 of 2009) shall be reduced and charged at the rate of 0.5 percent, but stamp duty already paid shall not be refunded.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-109]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.177.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on any agreement or other document executed for transfer or assignment of rights or interest in financial assets of banks or financial institutions under section 5 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Central Act No. 54 of 2002), in favour of any asset reconstruction company as defined in clause (ba) of sub-section (1) of section 2 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Central Act No. 54 of 2002) for the purposes of asset reconstruction or securitisation shall be remitted.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-110]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.178.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby makes the following amendment in this department's notification number F.4(15)FD/Tax/2014-55 dated July 14, 2014, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, the existing serial number 3 and 4 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"	3.	If the lease deed is issued in favour of a person on the basis of unregistered or insufficiently stamped instruments executed on or before 31.05.2013 and application for lease deed or the record of the Housing Co-	On the amount of premium, development charges, conversion charges and other charges paid in consideration including interest or penalty, if any, and the average amount of the rent of two years subject to condition that,- (i) the Urban Local Body concerned shall make endorsement on the lease deed or issue a certificate of this effect that lease deed has been issued on the basis of application or record submitted on or before 30.11.2017; (ii) the lease holder along with his lease deed shall submit the certificate, before the Registering Officer, issued by the Urban Local Body concerned wherein the number

	operative Society submitted on or before 30.11.2017 in the Urban Local Body concerned.	and date of execution of intermediary unregistered and unstamped instruments executed in respect of the immovable property are stated; and (iii) the lease deed shall be presented for registration on or before 31.12.2017.
4.	If the lease deed is issued on the basis of unregistered or insufficiently stamped instruments executed on or before 31.05.2013 but such lease deed is submitted for registration after 31.12.2017.	On the value calculated on the basis of prevalent rates of reserve price of the area prescribed by Local Authority concerned, if the rates of reserve price of the area are not prescribed, on the basis of reserve price of nearby area subject to the condition that the lease holder along with his lease deed shall submit the certificate, before the Registering Officer, issued by the Urban Local Body concerned wherein the number and date of execution of intermediary unregistered and unstamped instruments executed in respect of the immovable property are stated.

"

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-111]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.179.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby rescinds this department's notification number F.4(15)FD/Tax/2014-56 dated 14.07.2014.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-112]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.180.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(6)FD/Tax/2016-220 dated 08.03.2016, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument of lease or sale of

dwelling unit executed by the Development Authorities, Rajasthan Housing Board, Urban Improvement Trusts, Municipalities, RIICO or any Private Developers under the Chief Minister's Jan Awas Yojana-2015 in favour of the eligible persons shall be reduced and charged at the rate of 2% in case of Economically Weaker Section and 3.5% in case of Low Income Group respectively, of the amount of consideration on the condition that in case of allotment of dwelling units by private developer, the allottee, at the time of registration of deed of lease or sale of dwelling unit shall submit,-

(i) the copies of the map of the scheme approved under the Chief Minister's Jan Awas Yojana-2015; and

(ii) list of all allottees approved by Development Authorities, Rajasthan Housing Board, Urban Improvement Trusts, Municipalities or RIICO, as the case may be.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-113]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.181.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument of transfer of immovable property of a sick enterprise as defined in the Rajasthan Sick Micro and Small Enterprises (Revival and Rehabilitation) Scheme, 2015 for the purposes of revival of such enterprise shall be remitted on submission of certificate of sickness, before the Registering Officer, issued by the appropriate authority under the said Scheme.

This notification shall have effect from 10.11.2015 but stamp duty already paid shall not be refunded.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-114]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.182.-In exercise of the powers conferred by section 9-A of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that,-

1. interest and penalty payable on stamp duty shall be remitted in the following cases, namely:-
   (i) cases pending before the Collector (Stamps) upto the date of this notification in which the stamp duty payable has been deposited during the period from 08.03.2017 to 30.04.2017.
   (ii) cases filed before Collector (Stamps) during the period from 08.03.2017 to 30.04.2017 in which the stamp duty payable has been deposited during the period from 08.03.2017 to 30.04.2017.
   (iii) cases adjudicated by the Collector (Stamps) upto the date of this notification in which the stamp duty payable has been deposited during the period from 08.03.2017 to 30.04.2017.
   (iv) cases pending before Rajasthan Tax Board, Rajasthan High Court or in any other Court upto the date of this notification wherein party withdraws the case and submits the evidence of such withdrawal and the stamp duty payable has been deposited during the period from 08.03.2017 to 30.04.2017.
2. cases where stamp duty adjudicated by the Collector (Stamps) has already been deposited before the date of this notification, 80 percent reduction in the amount of interest and penalty payable on stamp duty shall be allowed if the remaining 20 percent amount of interest and penalty has been deposited during the period from 08.03.2017 to 30.04.2017.
3. cases pending before Rajasthan Tax Board, Rajasthan High Court or in any other Court wherein the total amount of stamp duty payable has been deposited before the date of this notification and the party withdraws the case and submits the evidence of such withdrawal, 80 percent reduction in the amount of interest and penalty payable on stamp duty shall be allowed if the remaining 20 percent amount of interest and penalty has been deposited during the period from 08.03.2017 to 30.04.2017.
4. the amount deposited under proviso to the section 65 of the said Act for filling revision before Rajasthan Tax Board, shall be adjusted towards the payment of stamp duty.
5. in the aforesaid cases stamp duty or any other amount already paid shall not be refunded.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-115]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.183.-In exercise of the powers conferred by section 9-A of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the interest and penalty shall be remitted on the following unregistered or understamped intermediary instruments

executed up to July 14, 2014 and referred to Collector (Stamps) by registering officer under the said Act, namely:-

(i) unregistered or understamped intermediary instruments executed in respect of land allotted or sold by Rajasthan Housing Board, Jaipur Development Authority, Jodhpur Development Authority, Ajmer Development Authority, Urban Improvement Trust, Krishi Upaj Mandi and Mandi Samittee, Gram Panchayat, Panchayat Samittee, Rajasthan Industrial Development & Investment Corporation (RIICO), Rajasthan State Cooperative Housing Federation or by any other authority or enterprises of the State Government, before getting lease deed from the aforesaid authorities.

(ii) unregistered or understamped intermediary instruments executed in respect of land allotted or sold by Housing co-operative societies, before getting the lease deed from the Urban Local Bodies.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-116]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.184.-In exercise of the powers conferred by section 86 and 87 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and section 74 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act No. 2 of 1899), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Stamp Rules, 2004, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Stamp (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force with effect from 01.04.2017.

2. Amendment of rule 24.- In rule 24 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, hereinafter referred to as the said rules,-

(i) the existing sub-rule (1) shall be substituted by the following, namely:-

"(1) An application for grant of license or renewal of license shall be made in Form A to the Collector. The application shall be accompanied by e-GRAS challan of having paid the prescribed fees in the treasury under head 0030:

Provided that application for grant of license or renewal of license may also be made electronically in Form AA.";

(ii) in clause (b) of sub-rule (3), the existing expression "and" shall be deleted;

(iii) in clause (c) of sub-rule (3), for the existing expression "an equivalent examination;", the expression "an equivalent examination; and" shall be substituted;

(iv) after the clause (c) of sub-rule (3), so amended, the following new clause (d) shall be added, namely:-

"(d) that he is the bonafide resident of the State of Rajasthan.";

(v) in clause (b) of sub-rule (4), for the existing expression "treasury challan of having paid the prescribed fee under head "0030 Registration Stamps miscellaneous" and shall bear a court fee label of Rs. 5 (Rupees five only);", the expression "e-GRAS challan of having paid the prescribed fees in the treasury under head 0030;" shall be substituted; and

(vi) in sub-rule (6), for the existing expression "under head "0030-Registration and Stamps miscellaneous"", the expression "under head 0030" shall be substituted.

3. Amendment of rule 48.- In rule 48 of the said rules, for the existing expression "applications", the expression "applications in electronic form or otherwise" shall be substituted.

4. Amendment of rule 53.- In rule 53 of the said rules, for the existing expressions "must be recorded with his own hand", the expression "must be recorded with his own hand, within three months" shall be substituted.

5. Amendment of rule 57.- In clause (iii) of rule 57 of the said rules,-

(i) after the existing second proviso and before the existing third proviso, the following new proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that to ascertain the correctness of facts mentioned in the instrument and to determine the correct market value of the immovable property mentioned in such instrument, the Inspector General of Stamps may by order specify the method and norms of inspection through electronic device or otherwise."; and

(ii) in the existing third proviso, for the existing expression "provided further that", the expression "provided also that" shall be substituted.

6. Amendment of Form "A".- In Form "A" appended to the said rules,-

(i) the existing expression "(Court fee label to Rs. Five to be affixed)" shall be deleted; and

(ii) the existing Note "1. Affix Court fee label of Rs. Five." shall be substituted by the following, namely:-

"1. Affix passport size photograph."

7. Insertion of Form "AA".-After the existing Form "A", so amended and before the existing Form "B" appended to said rules, the following new Form "AA" shall be inserted, namely:-

"FORM "AA"

(See rule 24)

Form of application for grant of licence or renewal of a licence to sell stamps under the Rajasthan Stamp Act, 1998.

o For new licence o For renewal

1.	Applicant's name in full and residential address	
2.	Date of Birth	
3.	Place of vend where the applicant desires to vend stamps :	
	Place	
	Town	

	Tehsil	
	District	
4.	Educational Qualifications	
5.	Extent of amount which the applicant invest in purchasing stamps from treasury	
6.	Present occupation, if any	
7.	Whether applicant wants to work as stamp vendor on part time basis, or full time basis	
8.	Name and address of relative, if any practicing as a document writer or stamp vendor (stating relationship) on the date of giving the application	
9.	Whether convicted of any criminal offence or removed from Government/Private service (give particulars)	
10.	Mobile number	
11.	e-Mitra ID, if any	

Save & Proceed to Payment | Cancel

GRN No. | Amount

Upload Documents

Photo | 10th Marksheet | Police Verification | Bonafide Residence Certificate

Character Certificate | e-Mitra Licence

Submit

NOTE:

Upload the copies of the following documents:-

1. e-GRAS challan in support of having credited the prescribed fee.
2. copy of previous licence in case of renewal of licence.
3. certificate in support of date of birth.
4. marksheet of the secondary examination or an equivalent examination.

I declare that I have carefully read the Rajasthan Stamp Rules, 2004 and terms and conditions of licence in Form B and I agree to abide by them.

Place : ……..

Date : ……...

Signature of applicant"

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-117]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.185.-In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-rule (1) and sub-rule (4) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, the State Government hereby makes the following amendment in this department's notification number F.4(4)FD/Tax/2015-226 dated 09.03.2015, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, the existing heading **"8. Rates of residential or commercial plots having area more than 1000 sq. meter"** and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"8. Rates of commercial plots having area of 100 sq. meter and above

S. No.	Area	Valuation based on the rates recommended by District Level Committee shall be reduced as under
1.	100 to 500 sq. meter	5%
2.	More than 500 sq. meter	5% on 100 to 500 sq. meter and 10% on remaining area

"

These rates shall remain in force upto 31.03.2018.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-118]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.186.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government hereby makes the following amendments in this department's notification number F.2(47)FD/Tax/09-04 dated 09.04.2010, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification, under the head ARTICLE-I, in column number 3,-

(i) against serial number 1, for the existing expression "One percent of the value or consideration", the expression "One percent of the market value or consideration subject to a maximum of rupees four lakhs" shall be substituted; and

(ii) against serial number 6, for the existing expression "One percent of the market value or consideration", the expression "One percent of the market value or consideration subject to a maximum of rupees four lakhs" shall be substituted.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-119]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.187.-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the registration fees chargeable on the instrument of partition of property other than ancestral property shall be reduced and charged at the rate of 0.25 percent on the market value of the separated share or shares of the property subject to maximum of rupees ten thousand.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-120]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.188.-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908) and in supersession of this department's notification number F.4(15)FD/Tax/2014-66 dated 14.07.2014, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the registration fees chargeable on the instruments specified in clause (c) of Article 5 and sub-clause (ii) of clause (ee) of Article 44 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) shall be reduced and charged at the rate of 0.25 percent subject to maximum of rupees ten thousand.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-121]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.189.-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the registration fees chargeable on the instrument of settlement executed in favour of family members shall be reduced and charged at the rate of 0.25 percent of the market value of the property settled by such instrument subject to maximum of rupees ten thousand.

Explanation: "Family Member" means father, mother, wife, brother, sister, son, daughter, grand son, grand daughter, daughter-in-law of settler.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-122]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.190.-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the registration fees chargeable in excess of rupees of ten thousand on the instrument relating to conversion of partnership firm, private limited company or unlisted public limited company into limited liability partnership under the Limited Liability Partnership Act, 2008 (Central Act No. 6 of 2009) as specified in sub-clause (a) of clause (2) of Article 35-B of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 shall be remitted.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-123]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.191.-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the

registration fees chargeable on the lease for a period not exceeding twenty years on which stamp duty is charged on the basis of market value of the property shall be reduced and charged 20% of the amount of stamp duty.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-124]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.192.-In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act,1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby makes the following amendments in this department's notification number F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/1R dated 14.07.2014, as amended from time to time, with immediate effect, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification,-

(i) in column number 3 against item (a) of serial number 5 of the table, for the existing expression "7.5%", the expression "8.5% "shall be substituted;

(ii) in column number 3 against item (b) of serial number 5 of the table, for the existing expression "6.0%", the expression "7.0%" shall be substituted; and

(iii) The existing clause "a." of Explanation (2) shall be substituted by the following, namely:-

"a. In case of new vehicle/chassis, shall be the ex-showroom price inclusive of all taxes and levies as shown in the purchase bill excluding any discount, rebate or concession in price given under any promotional scheme or otherwise by any manufacturer or dealer."

[F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/1V**]**
By Order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to the Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.193.-In exercise of the powers conferred by section 4-C of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby,

with effect from 01.04.2017, makes the following amendments in this department's notification number F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/22C dated 14-07-2014, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification,-

(i) in column 2 against serial number 2 of table, after the existing clause (b) and entries thereto, the following new clause (c) and entries thereto shall be added, namely:-

"

	(c) Motor Vehicle having seating capacity more than 12 excluding driver and upto 20 excluding driver and conductor (contract carriage permit and tourist permit)	
	(i) Purchased as a chassis	35% of the cost of chassis
	(ii) Purchased with a complete body	26% of the cost of vehicle

" ; and

(ii) the existing clause I of the explanation shall be substituted by the following, namely:-

"I. In case of new vehicle/chassis, shall be the ex-showroom price inclusive of all taxes and levies as shown in the purchase bill excluding any discount, rebate or concession in price given under any promotional scheme or otherwise by any manufacturer or dealer."

[F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/22E**]**
By Order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to the Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.194.-In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with effect from 01.04.2017, makes the following amendments in this department's notification number F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/5B dated 31.03.2000, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification,-

(i) in column number 3 against serial number 1 of the table, for the existing expression "Rs. 2000", the expression "Rs. 4000/- " shall be substituted ; and

(ii) in column number 3 against serial number 2 of the table, for the existing expression "Rs. 4000", the expression "Rs.8000/-" shall be substituted .

[F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/5C]
By Order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to the Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.195.-In exercise of the powers conferred by second proviso to section 4-C of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951) and in supersession of this department's notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/3 dated 09.03.2015, as amended from time to time, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby notifies that following classes of Motor Vehicles registered or assigned in the State on or after 01.04.2007 shall be required compulsorily to pay Lump sum tax under section 4-C instead of tax payable under clause (a) or (e) of sub-section (1) of section 4 and section 4-B of the said Act :-

1. All categories of four wheeled goods vehicles having gross vehicle weight more than 3000 kg and upto 16500 kg;
2. All categories of contract carriage vehicles having seating capacity upto twenty excluding driver and conductor;
3. All categories of tourist permit vehicles having seating capacity upto twenty excluding driver and conductor; and
4. All private service vehicles having seating capacity upto twenty excluding driver and conductor.

This notification shall have effect from 01.04.2017.

[F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/2]
By Order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to the Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.196.-In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act,1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with immediate effect, makes the following

amendment in this department's notification number F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/3H dated 01.03.2002, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In the table of the said notification, following existing proviso:-

"Provided that in case of vehicles mentioned at S. No. 2 and S.No. 3, the amount of tax shall not exceed Rs. 25000/- (Twenty Five Thousand) for one motor vehicle"

shall be substituted by the following, namely :-

"Provided that in case of vehicles mentioned at item (2) and (3) of Serial number 2 the amount of tax shall not exceed Rs. 35000/- (Thirty Five Thousand) for one motor vehicle."

[F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/3N**]**
By Order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to the Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.197.-In exercise of the powers conferred by section 22 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Rules, 1951, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Motor Vehicles Taxation (Second Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 2.- In sub-rule (1) of rule 2 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Rules, 1951, hereinafter referred to as the said rules, the existing clause (k) shall be substituted by the following, namely:-

"(k) "**Purchase price**" means ex-showroom price inclusive of all taxes and levies as shown in the purchase bill excluding any discount, rebate or concession in price given under any promotional scheme or otherwise by any manufacturer or dealer."

3. Amendment of rule 26-A.- In sub-rule (1) of rule 26-A of the said rules, for the existing expression "three months", the expression "six months" shall be substituted.

[F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/1**]**
By Order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to the Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

S.O.198.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with immediate effect, rescinds this department's notification number F.6(96)/Tax/Education/ 89 dated 21.07.1993.

[F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/3**]**
By Order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to the Government

Government Central Press, Jaipur.